खण्ड-256, अंक-5
शुक्रवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1887
(2 अप्रैल, 1965 ई0)

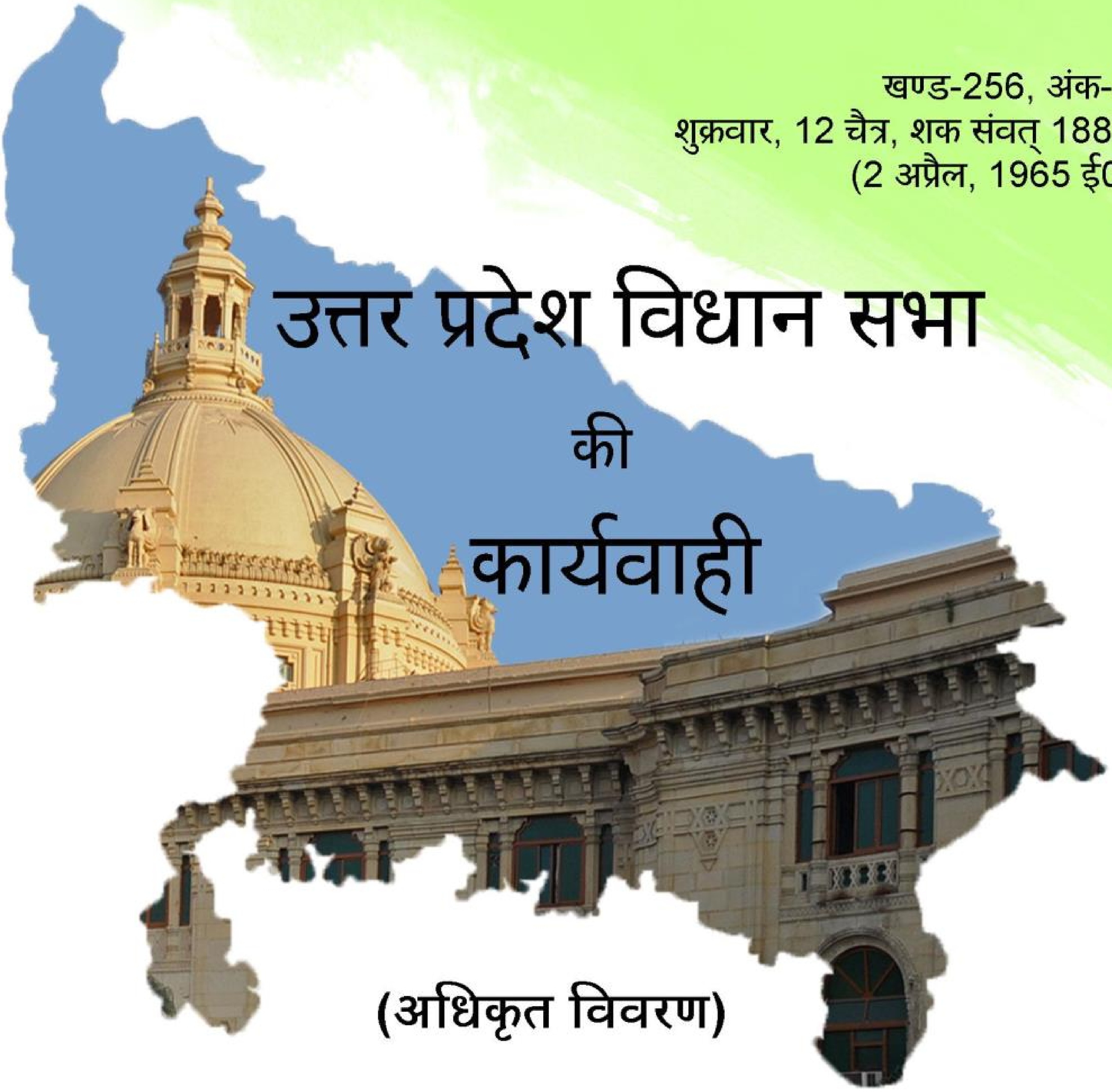

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 256 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४९१–४९५
प्रश्नोत्तर	४९५–५१९
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	५२०
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	५२०–५२१
कानपुर-झांसी लाइन पर डाकुओं द्वारा रेलगाड़ी लूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५२१–५२५
बद्रीनाथ में भू-स्खलन के सम्बन्ध में वक्तव्य	५२५–५२६
१० मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५२६
उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	५२६–५५२
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विवाद का परिवर्तित समय	५५२
रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	५५३–५६२
नत्थियां	५६३–५६४

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेनसिंह श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा श्री
बसन्तसिंह श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री

रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री

श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्द सिंह, वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उप-मन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २ अप्रैल, १९६५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन का प्रबन्ध

****१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—**

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो परीक्षायें प्रदेश में हाई स्कूल तथा इण्टर-मीडिएट की चल रही हैं उन परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों को देखने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति अपनायी है ?

वित्त मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

परीक्षा होने के पश्चात् प्रश्न-पत्र देखने का प्रश्न नहीं होता बल्कि उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन का प्रश्न होता है, जिसका प्रबन्ध इस वर्ष भी है। इस कार्य की व्यवस्था परिषद् द्वारा हर वर्ष की जाती है, जिसके लिए नीति उसके ही द्वारा निर्धारित होती है। शासन का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे इस वर्ष एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गयी जिसके कारण टीचरों ने हड़ताल वगैरह की और सरकार को अपनी नीति को बदल करके उसमें सहयोग देना पड़ा, तो क्या इस तरह की स्थिति आज भी विद्यमान है? यदि हां, तो उत्तर पत्र देखने के बारे में सरकार ने क्या नीति अपनायी है?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया है कि प्रश्न पत्र हो जाने के पश्चात् जिन कापियों में उत्तर लिखे जाते हैं उनको जांचने की बात होती है। उसके लिए प्रबन्ध बोर्ड जैसा करता है, कर दिया गया है। इतना मैं अवश्य निवेदन कर सकता हूं कि यह विशेष परिस्थिति होने के बावजूद भी जांच करने के लिए जिनको कापियां दी गयी हैं वे जांच करने के योग्य हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि शासन ने इस दफा इन्तजाम किया है, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कापियों को शासन के लोग जांचेंगे या टीचर्स ने खुद मांग की है कि उनको कापियां दी जायं?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कह दिया कि जिनको कापियां दी गयी हैं वे योग्यता-सम्पन्न हैं।

श्री बलवानसिंह--

श्रीमन्, बात यह है कि कापियां जांचने वाले टीचर्स में से हैं या ऐडमिनिस्ट्रेशन में से हैं? क्या शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि यू० पी० के टीचर्स ने हड़ताल इस समय तक वापस लेकर फिर मांग की है कि कापियां जांचने का कार्य उनको ही दिया जाय?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, जिस समय शिक्षकों ने अपनी हड़ताल को वापस लिया तब उनसे बातचीत हुई थी और उनको उस समय तक जो परीक्षक नियुक्त नहीं हो पाये थे, जिनका स्थान रिक्त था उनमें उन्हीं परीक्षकों को नियुक्त किया जाय जो पहिले हड़ताल पर गये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह बात सही है कि पहले जिन लोगों को २००, २५० या ३०० कापियां तक मार्किंग के लिए दी जाती थीं, अब उन्हीं को १,००० और २,००० कापीज दी गयी हैं और वे भी सरकारी स्कूलों के टीचर्स को? यदि हां, तो क्या इससे परीक्षा का रिजल्ट पीछे नहीं पड़ जावेगा?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह सूचना तो मेरे पास नहीं है। ये बातें गोपनीय भी होती हैं। प्रयास इस साल भी बोर्ड ऐसा ही करेगा कि परीक्षा-फल समय से निकलने में असाधारण देरी न हो।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

सरकार को इसमें क्या दिक्कत है कि जो पहले एक्जामिनर तैनात थे उन्हीं को अब भी एक्जामिनर रखा जाय?

श्री कैलाशप्रकाश--

शासन का इस बात से सम्बन्ध नहीं है। परीक्षक जो नियुक्त किये जा चुके उन्हें नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें हटाकर ही पहले परीक्षकों को जिन्होंने हड़ताल की नियुक्त किया जा सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जिन कापियों के लिए अभी परीक्षक नियुक्त नहीं हुये हैं क्या सरकार हड़ताल से वापस आये टीचर्स को इसके लिए अवसर देगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

बोर्ड ने मुझे सूचना दी है कि वह इसे सोच रहा है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि हड़ताली परीक्षक, जो अब कापियां जांचने के लिए मांगते हैं उनका ऐसा इरादा है कि कापियों को नष्ट कर दें या विलम्ब कर दें ताकि परीक्षा योजना जो सफल रही है वह नाकामयाब हो जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

जब अध्यापकों ने बहिष्कार के निर्णय को वापस ले लिया उसके बाद हाई स्कूल और इन्टर की परीक्षाओं के परीक्षक क्या अध्यापक ही बनाये जायेंगे, ऐसी नीति सरकार की है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर मन्त्री जी प्रश्न समझ पाये हों तो उत्तर दे दें।

श्री कैलाश प्रकाश--

मेरी भी वही हालत है, मैं भी नहीं समझ पाया हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, इनका पूछने का मतलब यह है कि...

श्री रघुनाथसिंह--

श्रीमन्, मैं...(व्यवधान)--

(माननीय अध्यक्ष के अगला प्रश्न पुकारने पर)।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने डाक्टर रघुनाथ सिंह को प्रश्न करने की इजाजत दी और उन्होंने प्रश्न किया। तो उसका उत्तर हुये बिना यह दूसरा प्रश्न कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न न मेरी समझ में आया और न मन्त्री जी को। बीच में व्यवधान हुआ। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

श्री रघुनाथसिंह--

हमें प्रश्न पूछने का अवसर दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जावें, मैं दूसरा प्रश्न ले चुका हूं।

(श्री रघुनाथसिंह के बोलते रहने पर)

अगर आप नहीं बैठते हैं तो कृपया बाहर जावें।

(श्री रघुनाथसिंह ने सदन का परित्याग किया।)

असरकारी अध्यापकों के लिए अभिनवीकरण समिति नियुक्त करने की सिफारिश

**२--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह अध्यापकों के वेतन-क्रमों के पुनर्निर्धारण के लिए किसी वेतन अभिनवीकरण कमेटी की नियुक्ति का विचार रखते हैं? यदि हां, तो पूर्ण रूपरेखा क्या है तथा उसकी घोषणा कब तक हो जायगी?

श्री कैलाशप्रकाश--

सरकारी विद्यालयों के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों के लिए वेतन अभिनवीकरण कमेटी नियुक्त की जा चुकी है। गर सरकारी विद्यालय के अध्यापकों के वेतन सम्बन्धी मामलों पर कोई भी कमेटी नियुक्त करने का शासन का विचार नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या इस समिति के निर्णयों को गैर सरकारी अध्यापकों के लिए भी सरकार लागू करने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह समिति उनके लिए नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

इस बात को जानते हुये कि अभी जो अध्यापकों ने हड़ताल की थी उसमें एक विशेष प्रश्न यह भी था और सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि सहानुभूतिपूर्वक उन के प्रश्न पर विचार किया जायगा, तो क्या इसको ध्यान में रखते हुये सरकार पुनः इस बात पर विचार करेगी कि अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन करने हेतु इस अभिनवीकरण कमेटी की अलग से नियुक्ति करे जिससे कि जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं और गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं उनकी पैरिटी के प्रश्न पर विचार किया जा सके?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, सहानुभूति तो है और अब भी मैं कहता हूं कि वह सहानुभूति है और सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे, लेकिन कमेटी नियुक्त करने से कोई सहानुभूति थोड़े ही जाहिर होती है, इसलिए कमेटी नियुक्त करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों की मांग को पूरा करन के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता आपको है और उस सम्बन्ध में केन्द्र के शिक्षा मन्त्री ने जो समय-समय पर आश्वासन दिया है उसमें कोई स्पष्ट सूचना या आश्वासन आपको अब तक मिला है कि इतनी धनराशि वह आप को दगे?

श्री कैलाशप्रकाश—

केन्द्र के शिक्षा मन्त्री से बातचीत तो होती रहती है और हुई भी, लेकिन जैसा मैं सदन में कह चुका हूं कि वित्तीय मामलों में जब तक सारी चीजों को देख न लिया जाय और जब तक कि वह अन्तिम रूप न धारण कर लें तब तक उसमें कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस बात को देखते हुये कि अध्यापक वर्ग का जो हिन्दुस्तान का संगठन है वह भी मांग कर रहा है केन्द्रसे कि इन शिक्षकों के लिए एक विशेष वेतन कमीशन बनाया जाय, तो क्या माननीय मन्त्री जी केन्द्र के शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देंगे कि वह एक विशेष वेतन कमीशन तमाम शिक्षकों के लिए बनायें ताकि शिक्षकों की यह मांग कम से कम मान ली जाय?

श्री कैलाशप्रकाश—

हमको तो अपने प्रदेश से मतलब है। अपने प्रदेश की विशेष परिस्थिति के बारे में हम केन्द्र के शिक्षा मन्त्री से बातचीत करते हैं और अपने प्रदेश की विशेष परिस्थिति को सुलझाने में लगे हुये हैं। समस्त प्रदेशों के बारे में कोई सुझाव देने की मंशा नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय मन्त्री जी ने यह कहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को हम स्वीकार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी और गैरसरकारी अध्यापकों के वेतन में असमानता है जिसको दूर करने के लिए इस किस्म का आश्वासन भी आपने दिया था, उसकी पूर्ति के लिए और उस असमानता को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है जब कि कोई कमेटी भी नियुक्त नहीं हो रही है? उस असमानता को दूर करने के लिए सरकार कोई कदम उठाने जा रही है? यदि हां, तो कौन सा?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, एक तो बात होती है सैद्धान्तिक और वैसे तो संविधान में भी यह लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिये, तो वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जहां तक व्यवहार का प्रश्न है, व्यवहार में सारे वेतन जितने हैं उनमें समानता लायी जा सकती है, ऐसी बात का आश्वासन तो कभी नहीं दिया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि संविधान में तो यह मान लिया गया है कि समान मजदूरी के लिए समान वेतन दिया जायगा, लेकिन संविधान की मान्यताओं को हम व्यवहार में मानने में असमर्थ हैं, क्या इस तरह का उत्तर कैबिनेट के स्तर का एक मन्त्री दे सकता है? यह विधान की मर्यादा के प्रतिकूल है।

श्री अध्यक्ष—

यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में दिया हुआ है और उसमें यह भी दिया हुआ है कि सरकारें इन सिद्धान्तों को सम्पन्न करने के लिये यथा शक्ति प्रयत्न करेंगी। मंत्री जी ने कहा सैद्धान्तिक रूप से मानते हुये भी जो हमारी व्यवहारिक सीमाएं हैं उनको हमें देखना है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आपने जो कहा, उसको संवार करके कहा, लेकिन मंत्री जी ने यह बात नहीं कही।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स के खिलाफ आपके सामने बात नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बहस न करें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जब केन्द्र के मंत्री ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश के जितने अध्यापक हैं, उनको अन्य प्रदेशों के अध्यापकों से कहीं कम वेतन मिलता है, तो मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि शीघ्र ही कोई ऐसी कमेटी बनाई जाय, जिससे हमारे प्रदेश के अध्यापकों का वेतन तथा भत्ता अन्य प्रदेश के अध्यापकों के बराबर हो सके ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कह चुके हैं कि हमारा ऐसा विचार नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी —

क्या मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि किन कठिनाइयों से सरकार ऐसी कमेटी नियुक्त करने में अपने को असमर्थ पाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कोई विशेष आवश्यकता महसूस नहीं होती कमेटी नियुक्त करने की, क्योंकि प्रश्न जो कुछ है वह यह है कि शिक्षकों की कुछ कठिनाइयां हैं, और उन्होंने कुछ अधिक भत्ता या वेतन की मांग की है और वह मांग अधिक आर्थिक व्यवस्था से पूरी हो सकती है, तो उसमें कमेटी नियुक्त करने से कोई खास बात नहीं हो सकती। केन्द्र से इसके बारे में बातचीत हो रही है।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी ने सदन में यह घोषणा की थी कि वे सरकारी अध्यापक और गैर सरकारी अध्यापक उन दोनों का पे स्केल एक करेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि अब जो कमेटी बैठी है, वह सिर्फ सरकारी स्कूलों के बारे में विचार कर रही है, अब अगर उसने उनका वेतन या महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, तो गैर सरकारी अध्यापकों के बारे में सरकार की क्या नीति होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं तो कह चुका हूं कि जहां तक सरकारी कर्मचारियों का ताल्लुक है, या सरकारी अध्यापकों का ताल्लुक है, वह सरकारी कर्मचारियों की तुलना में आते हैं। सरकार के कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम करते हैं, और जो अध्यापक हैं, वह शिक्षा का काम करते हैं, लेकिन हैं वह सरकारी कर्मचारी और यह कमेटी सरकारी कर्मचारियों की बहुत सारी चीजों को देखने के लिये नियुक्त की गई है। इसलिए जब वह सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ फैसला करेगी, तो वह फैसला सरकारी अध्यापकों पर भी लागू होगा। इतनी बात मैंने कही और जहां तक प्राइवेट संस्थाओं के टीचर्स का सवाल है, वह तो बात दूसरे तरीके से चल रही है।

अध्यापकों की मांगें

**३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री बाबूलाल तथा श्री जगन्नाथ राव—

जैसा कि सरकार द्वारा अनेक बार आश्वासन दिया गया कि अध्यापक अपना आन्दोलन वापस लें तो उनकी मांगों पर विचार किया जाय तो आज जब कि आन्दोलन वापस हो गया है, तो क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह अध्यापकों की किस-किस मांग को किस-किस रूप में कब से स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शिक्षकों की मांग के विषय में बार बार यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा। वही आश्वासन आज भी है। इस कार्य हेतु केन्द्रीय शासन से सहायता लेने के लिये प्रयास जारी है। उस सहायता के विषय में निर्णय हो जाने पर ही यह कहा जा सकेगा कि किस-किस मांग को किस रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह बात बार-बार कही है, कि वह इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अध्यापकों का प्रश्न सहानुभूति पूर्वक हल कर सकें। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके इस प्रयास में कितना समय लगेगा और आप यह स्पष्ट बतायें कि आप अध्यापकों के वेतन और उनके महंगाई भत्ते के बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कितना समय लगेगा आपको निश्चित करने में और क्या करने जा रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश

समय बताना मुश्किल है।

श्री जगन्नाथ राव—

मैं माननीय मंत्री जी से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि जो अधिक सहानुभूति है अध्यापकों से और बार-बार आश्वासन भी देते हैं कि सहानुभूति है, तो उनके वेतन और महंगाई भत्ते में आप कुछ वृद्धि करने जा रहे हैं कि नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बजट में आपके सामने यह बात कही कि दो करोड़ रुपये की धनराशि शिक्षा में जो काम करते हैं, उनको सुविधा देने के लिये रखी गई है, उनमें से कुछ घोषणाएं कर दी गईं, कुछ धनराशि जो शेष बचेगी, वह शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं, गैर सरकारी रूप से, उनकी सुविधाओं के लिये निर्धारित की गई हैं और वह धनराशि उसी पर खर्च की जायगी। अब जो केन्द्र से सहायता मिल सके, उसको और उसमें जोड़ना चाहते हैं, केन्द्र से कितनी सहायता मिलेगी, अभी उसका कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है....

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जो वह कह रहे हैं, आप उसको सुन लें।

श्री उग्रसेन—

कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, श्रीमन्.....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय जगन्नाथ राव जी ने निश्चित प्रश्न पूछा है कि क्या गैर सरकारी स्कूल के अध्यापकों के भत्ते तथा वेतन में कुछ बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार कर रही है, उसका उत्तर आपने मंत्रीजी से नहीं दिलावाया, अन्य सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठा दिये, तो आपने शिक्षा मंत्री जी को बैठा दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो निश्चित प्रश्न किया गया, उसका उत्तर मिलेगा कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बठ जायं ।

किच्छा थाने के मड़इया गांव में गोलीगांड

**४--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद), श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २८ मार्च, १९६५ को थाना शीशगढ़, जिला बरेली के थानेदार ने ग्राम दरई मजरा, थाना किच्छा, जिला नैनीताल में श्री हमीदुल्ला के मकान में घुसकर उन्हें गोली मार कर उनकी हत्या कर दी और अन्य चार आदमियों को जख्मी कर दिया ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

थाना शीशगढ़, जिला बरेली पर २७-३-६५ को दर्ज किये गये एक नकबजनी के अपराध की जांच के सिलसिले में थाना अध्यक्ष, शीशगढ़ कुछ पुलिस कर्मचारियों तथा गवाहों सहित गांव मड़इया दरऊ, मजरा दरऊ, थाना किच्छा, जिला नैनीताल के श्री खलील के घर की तलाशी लेने २८-३-६५ को गये । उनके पहुंचने पर श्री खलील तथा ५ अन्य व्यक्तियों ने जो, श्री खलील के घर में थे, पुलिस पार्टी पर आक्रमण कर दिया, शोर सुन कर कुछ अन्य व्यक्ति भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी पुलिस पार्टी पर आक्रमण किया और चोटें पहुंचाई । उपलब्ध सूचना के अनुसार पुलिस ने आत्म रक्षार्थ गोली चलाई जिसके फलस्वरूप श्री रफीक अहमद की मृत्यु हो गई और चार व्यक्ति जिनमें प्रश्न में उल्लिखित हाजी हमीदुल्ला भी सम्मिलित हैं, घायल हुये । घटना के संबंध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

माननीय मंत्री जी ने अपनी आदत के मुताबिक जवाब दिया है कि इसमें कोई भी बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि पुलिस वाले शीशगढ़ थाना, जिला बरेली के थे, और तलाशी के लिये गये नैनीताल में । तो क्या उन्होंने धारा १६५(१) से (४) तक की पूर्ति तलाशी लेने से पहले कर ली थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी नहीं, वह तो नहीं थे, थाना वहां से मिला हुआ है एक फर्लांग की भी दूरी नहीं है, जल्दी करना था और तलाशी लेनी थी और इतना समय नहीं था कि दूसरे पुलिस कप्तान से इजाजत ली जाय ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

श्रीमन्, जिला चाहे करीब हो या दूर हो लेकिन सवाल बरेली जिले से नैनीताल जिले में जाकर तलाशी लेने का था और इसके अलावा जब कि यू० पी० की पुलिस डकैती, चोरी, कत्ल सबमें बदनाम है और वह समझे कि यह डाकू तो नहीं हैं उन्होंने कहा कि तलाशी से पहले हमको आप दिखा दें कि किसकी इजाजत से आप तलाशी ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप पुलिस वाले नहीं हैं और इस तरह से वह.....

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप सूचना दे रहे हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नयमानुसार जहां की तलाशी पुलिस द्वारा ली जाती है उसमें वहां के एस० पी० या लोकल पुलिस की मदद ली जाती है, इत्तला देते हैं क्योंकि लोकल आदमी वहां के हालात को जानते हैं और गलती की ज्यादा गुंजायश नहीं रहती और अक्सर डकैतियों में पुलिस की वर्दी पहनकर डाकू घुस जाते र इसी आशंकावश उन लोगों ने इन को रोका, क्या सरकार इस बात की जानकारी हासिल करते ये जो जांच हो रही है इस रोशनी में अपने विचार बदलने की कृपा करेगी ?

शिवप्रसाद गुप्त—

जांच तो सभी पहलुओं पर हो गई है, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि उन्होंने बताई, पुलिस को उन्होंने तलाशी से रोका, बल्कि बात असली यह थी कि गाय के सींग और खाल लड़का बाहर ले जा रहा था और अन्दर गोकशी हो रही थी और उनको डर था कि गाय कटती देखकर हम लोग और फंस जायेंगे। १७ चोटें दरोगा के बदन पर आईं और पुलिस के कांस्टेबिल के भी सिर पर चोटें हैं, उन्होंने बाद में गोली चलाई जब उनके पास जान बचाने का दूसरा रास्ता नहीं रहा।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

जब शोर मचा तो गांव के कुछ और लोग भी आ गये तो जब बाहर लोग आये तो उनके पास कोई हथियार थे जो आते ही इन्होंने हमला कर दिया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उसके पास सब कुछ फरसे, लाठी और बल्लम आदि थे और जब अन्दर गाय कट रही थी तो सब कुछ हथियार उनके पास थे ही।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जब यह लोग घर में घुसे और जहां गोहत्या हो रही थी वहां उन लोगों के पास कांते, बल्लम मौजूद थे तो क्या उन्होंने इसीलिये हमला किया कि वैसे ही गोहत्या में पकड़े जायेंगे और पुलिस ने अपनी प्राण रक्षा में गोली चलाई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, यह बिलकुल सही है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मैं मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि जब पुलिस को मालूम हो गया था कि वहां ऐसा वाकया हो रहा है तो नकबजनी की बात क्यों लिखाई गई।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

माननीय सदस्य ने गलत समझा, पुलिस की तलाशी जारी थी और वह वहां माल बरामद करने को गई थी लेकिन वहां उनको दिखाई दिया कि लड़का गाय के सींग और गोश्त लिये जा रहा था, यह घर में घुसे, पुलिस भी घर में तलाशी को गई थी, बाद में उस पर हमला किया गया और अधिक लोग आ गये, पुलिस बाहर निकली जब कि वह गली में घिर गई थी, जब उनके बहुत चोटें आई तो उन्होंने जब फायर किया तब वह मरे।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास (पुलिस वालों के) गऊकशी की शिकायतें पहले भी थीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, कई दफा उनको सजा भी हो चुकी है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री जागनाथ राव—

[आठवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

[२ अप्रैल, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

चक्की भूसाडोही के निकट देवरिया और आजमगढ़ जिलों का सीमा विवाद

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २८ अक्तूबर, १९६४ का लिखित ग्राम मौलानापुर, जिला आजमगढ़ के देवरिया जिले के सीमा पर पत्थर गाड़ने के लिये प्रश्न कर्त्ता द्वारा लिखित कोई पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ को मिला है और उस पत्र पर ऐसा करने के लिये जिलाधीश द्वारा प्रादेशिक सरकार से अनुमति मांगी गई है ? यदि हां, तो अब तक अनुमति न देने का कारण क्या है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

प्रश्नकर्ता का २८ अक्तूबर, १९६४ का प्रार्थना पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था पर उसके आधार पर सीमावर्ती किसी ग्राम में पत्थर गड़वाने के लिये जिलाधीश ने शासन से कोई अनुमति नहीं मांगी थी और न शासन से इस प्रकार की अनुमति आवश्यक ही है ।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चक्की भूसाडोही, जिला आजमगढ़ से देवरिया जिले के किसानों को भूमि संबंधी वाद-विवाद का निपटारा माल विभाग द्वारा हो गया है ? • यदि हां, तो कब और क्या ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

किसानों के भूमि संबंधी विवादों का निपटारा न्यायालयों से होता है शासन द्वारा नहीं । १९६१ में यह अवश्य स्पष्ट किया गया था कि चक्की भूसाडोही के पास दोनों जिलों की सीमा स्थायी है, नदी की धार नहीं है और जिले की सीमा निश्चित हो जाने पर प्रत्येक जिले क न्यायालय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर व्यक्तिगत विवादों का निपटारा करेंगे ।

*३—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निपटारे के अनुसार संबंधित ग्रामों के नक में भी परिवर्तन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिल देवरिया के ग्राम तेलियाकुर्री खादर व मैना के नक्शों में दोनों जिलों की सीमा संबंधी जो त्रुटि पाई गई उसे ठीक करने की कार्यवाही १९६२ में की गई थी । अब पुनः इन ग्रामों के नक्शों में अंकित सीमा के ठीक होने में दोनों जिलों के अधिकारियों में कुछ मतभेद हो गया है जिसको दूर करने के लिये आयुक्त को निश्चित आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ को जो पत्र भेजा गया था उसमें यह कहा गया था कि सीमा पर झगड़ा है तो पत्थर लगाने के लिये जिलाधीश ने प्रधान को आश्वासन भी दिया और उन्होंने हजारों रुपये खर्च करके पत्थर भी इकट्ठे कर लिये। आपका कहना है कि आपके यहां से कोई अनुमति नहीं मांगी और न इस प्रकार की अनुमति आवश्यक ही है तो उनके खिलाफ जिन्होंने २ साल तक इस मामले को उलझाया, सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? और क्या सरकार पत्थर गड़वाने के आदेश देगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

पत्थर गड़वाने का प्रश्न तो था ही नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

इस जिले का तो झगड़ा है, वह है ही, १०० वर्षों से पहले जिलों की सीमाओं का निर्माण हुआ था। बहुत से जिलों की सीमाएं नदियों के बहाव से कट गयी हैं जिससे बहुत से झगड़े बढ़ गये हैं तो क्या सरकार कोई ट्राइब्युनल या कमीशन बैठाने की कृपा करेगी जिससे जिलों के झगड़े समाप्त हो जायें ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

यह तो घर की लड़ाई है। उसमें कमीशन या ट्राइब्युनल की जरूरत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब जिलाधीश तथा नीचे के अधिकारियों को यह पत्र लिखा गया कि गांव की जमीन तथा मेड़ का झगड़ा है लिहाजा पत्थर गड़वा दीजिये तो जिलाधीश ने उत्तर दिया कि उसने गवर्नमेंट को रेफर कर दिया है और सरकार कहती है कि उसके लिये अनुमति देने का सवाल नहीं है तो जिलाधीश ने जो यह गलत चिट्ठी लिखी है और इतने समय टालमटोल में लग गया जिससे झगड़ा बना रहा तो उसके खिलाफ क्या सरकार कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं जिलाधीश से पूछूंगा कि क्यों ऐसा लिखा।

श्री उग्रसेन—

तिलिया खादर और मोना दोनों गांव के नक्शे में इसको रखा गया है जिससे आजमगढ़ और देवरिया के जिलाधीशों में मतभेद है तो वह मतभेद क्या है ? और जो आदेश क्षेत्र आयुक्त को दिये गये हैं इस झगड़े को दूर करने के लिये उन्होंने कौन सी स्पष्ट कार्यवाही की ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

दो बैठकें हो चुकी हैं परगना हाकिम सलीमपुर और घोसी के बीच में और जो निबटारे के लिये मुमकिन व्यवस्था थी वह की गयी।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

२५ वर्ष से झगड़ा चला आ रहा है दोनों जिलों के बीच में जिसके कारण वहां बल्वे और कत्ल भी हो चुके हैं, तो क्या सरकार इस समस्या को शीघ्र हल करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे मालूम नहीं, माननीय सदस्य पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे तब भी नहीं बतलाया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार को ज्ञात है कि यह झगड़ा ३, ४ आदमियों के बीच ५९ से है और ६२ तक उस झगड़े का निबटारा दोनों जगह के कलेक्टर तथा कमिश्नर ने मिल कर किया है और उत्तर में कहा गया कि निबटारा हो गया लेकिन फिर दोनों जिलाधीश के बीच सीमा को लेकर विवाद है तो जब आयुक्त की देख-रेख में निबटारा हो चुका था तो फिर झगड़ा कैसे लग गया ? सरकार इसके संबंध में उचित कार्यवाही करेगी कि जिलाधीश आपस में झगड़ा क्यों करते हैं जब कि फैसला हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आदमी का स्वाभाव झगड़ा करने का है । कमिश्नर को हुक्म दे दिया है कि दोनों कलक्टर्स को बुला कर निश्चित रूप से फैसला कर दे ।

श्री उग्रसेन—

देवरिया और आजमगढ़ के कलेक्टर ने क्या रिप्रेजेंटेशन भेजा है जो आयुक्त के जेरेगौर है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दोनों में इत्तफाक राय नहीं है जिससे कमिश्नर को मामला भेज दिया गया ।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

घाघरा और राप्ती में धुर धारा के सिद्धान्त के कारण यह झगड़ा है तो क्या माननीय मंत्री किसी पिछले बन्दोबस्त को आधार मान कर हर जगह पत्थर गड़वाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सरेदस्त कहना मुनासिब नहीं है । जैसा, मैंने कहा यह घर का झगड़ा है चाहे जमीन देवरिया में रहे या गोरखपुर में अथवा बहराइच में, वह रहेगी घर में ही ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

जैसा माननीय मंत्री ने कहा कि जमीन चाहे इस जिले में रहे या उस जिले में, लेकिन रहेगी घर में ही, लेकिन जो एक किसान एक जिले में काबिज होता है दूसरे जिले में जमीन चली जाने के के बाद दूसरा किसान उस पर काबिज हो जाता है तो इस बात को रोकने के लिये कि वह जमीन भले ही दूसरे जिले में चली जाय लेकिन जो किसान काबिज था वही काबिज रहेगा इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बंगाल रेगुलेशन में यह प्राविजन है कि कोई जमीन इस तरफ की उस तरफ चली जाय तो उसमें टाइटिल नहीं बदलेगा और जिसकी जमीन होगी उसी की रहेगी । हां, पहचान न होने पर टाइटिल बदल सकता है ।

*४—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

[हटा दिया गया ।]

तहसील रामसनेही घाट के लेखपाल

*५—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बाराबंकी जिले में तहसील रामसनेही घाट में ऐसे लेखपालों को जो एक ही स्थान पर तीन साल से ज्यादा रह चुके हैं दूसरे हल्कों में ट्रांसफर करेगी जिससे भ्रष्टाचार न बढ़ने पावे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। भ्रष्टाचार मिलने पर किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, फरेंदा की चहारदीवारी

*६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला के फरेंदा राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल (आनन्द नगर), फरेंदा की बाहर की चहार दीवारी कितने दिनों से गिरी है और इसके गिरने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

भीषण आंधी और तूफान के कारण चहार दीवारी १० मार्च, सन् १९६३ को गिर गई।

*७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि अभी तक उक्त चहारदीवारी न बनने का क्या कारण है तथा कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मरम्मत संबंधी आंक तैयार हो चुके हैं। देर क्यों हो रही है इसकी जांच की जा रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चहार दीवारी को गिरे हुये दो साल हो गये हैं और जो प्राक्कलन तैयार हुआ है, कितने रुपये का है कब से काम शुरू हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, कार्य जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश की जायगी।

श्री जगन्नाथराव—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह चहार दीवारी १० मार्च, १९६३ को गिरी, और अब तक नहीं बन पाई है वैसे ही अनेक स्कूलों की छतें तथा इमारतें गिर जाती हैं और उनके बनने में विलम्ब होता है तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि स्कूलों की इमारतों की मरम्मत जल्दी हो सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द बनें।

वाराणसी जिले में परिगणित जातीय अमीन

*८—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के ज्ञानपुर, बनारस, चन्दौली तथा चकिया तहसीलों में इस समय कुल कितने सीजनल अमीन लगान वसूली में रखे गये ? उसमें परिगणित जातियों की क्या संख्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वाराणसी जिले में इस समय कुल ६६ सीजनल अमीन कार्य कर रहे हैं, उनमें कोई भी अमीन परिगणित जाति का नहीं है।

*९—श्री हरिगैनराम (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित जातियों के संरक्षण पर ध्यान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकमसिंह विसेन—

नई नियुक्ति करते समय परिगणित जातियों के संरक्षण पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। इस वर्ष किसी भी नये व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है। पुराने सीजनल अमीनों में से केवल उन्हीं को रखा गया है जिनकी वसूलयाबी अच्छी थी।

बांसगांव तहसील में राप्ती का कटाव

*१०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला के बांसगांव तहसील के तप्पा गुरम्ही, परगना मौआवार के भरवलिया ग्राम के १४ मकान राप्ती के कटाव से नदी में चले गये हैं तथा अन्य लोगों के मकान भी नदी में कटने वाले हैं ? यदि हां, तो क्या उस ग्राम के लोगों ने बसने की जमीन के लिये जिलाधीश गोरखपुर को ३ दिसम्बर, १९६४ को लिखा है ? यदि हां, तो क्या बसने की व्यवस्था कर दी गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के भरवलिया ग्राम के १२ मकान राप्ती नदी के कटाव से नदी में चले गये हैं तथा नदी का कटाव आबादी की तरफ है। उस गांव के निवासियों का ३ दिसम्बर, १९६४ का कोई पत्र जिलाधीश को नहीं प्राप्त हुआ है। जिन लोगों के मकान कट गये हैं, उनको बसने के लिये मौजा पड़पुरवा में जमीन दी गई थी पर वे वहां जाने को तैयार नहीं हैं और अभी तक भरवलिया में ही आबाद ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भड़पुरवा ग्राम से भरवलिया ग्राम केवल दो मील है, इसलिये इनको भरवलिया ग्राम में ही कोई सुरक्षित स्थान बसने के लिये देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, यह सही है कि भरवलिया ग्राम थोड़ी ही दूर पर है और उनकी ख्वाहिश है कि उनको बसने के लिये इसी ग्राम में जगह दी जाय। लेकिन वहां पर स्थान विवादग्रस्त है।

श्री राम लखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, नदियों का कटाव बड़ा भयंकर था, कई गांव कट गये और यह हमारी सूचना है तथा वह हमारे क्षेत्र के गांव हैं। अन्य गांव भी उस कटाव की चपेट में आने वाले हैं। क्या इस खतरे को देखते हुये माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अब भविष्य में अन्य गांव जिन पर खतरा है वे बच जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह कार्य तो सिंचाई विभाग के फ्लड कंट्रोल बोर्ड वालों का है, राजस्व से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जगन्नाथराव—

भरवलिया गांव जो कि कट गया है और वहां के लोग बेभूमि और बेघरबार हो गये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी भरवलिया वालों को उसके नजदीक कोई जमीन देने की कृपा करेंगे जहां पर वह अपनी खेती-बारी कर सकें और बस सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वे लोग कोई जमीन बता दें तो हम कोशिश करेंगे ।

देवरिया जिले में दाखिल खारिज के मुकदमें

*११—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला की चारों तहसीलों में ११ फरवरी, १९६५ को दाखिल खारिज के कितने मुकदमें थे और उसी तिथि को चारों तहसील के परगना हाकिमों के वहां भी उसी किस्म के कितने मुकदमें थे ? हजारो की संख्या में मुकदमों के जमा हो जाने का कारण क्या है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

तहसीलों में ३,२७१ तथा परगना हाकिमों के यहां १,२२७ । मुकदमों का दाखिला कुछ ज्यादा हुआ । एक हाकिम परगना काफी समय छुट्टी पर रहे । एक हाकिम परगना का इजलास कुछ समय तक खाली रहा । इसलिये मुकदमों की संख्या बढ़ गई है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चारों तहसीलों में और चारों परगना हाकिमों के यहां कितने मुकदमें अलग-अलग दाखिल थे ? और जो हाकिम परगना कुछ दिनों तक इजलास पर नहीं गये या छुट्टी पर रहे तो क्या उनके स्थान पर कोई नियुक्ति नहीं हुई थी कि इतनी अधिक संख्या में केसेज पेंडिंग क्यों रहे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

शायद ऐसा ही हो ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

यह सवाल पिछले सन् ६२ में ही आपके सम्मुख उपस्थित था, उस वक्त भी इस तरह का जवाब दिया था कि इस तरह मुकदमें आ गये तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मुकदमें उसी समय से चले आ रहे हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री बलवानसिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो न्याय के मिलने में इतनी देरी हुई तो क्या इसके लिये सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि जिस से लोग एक निश्चित समय के अन्दर न्याय पा सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोशिश तो हम यही करते हैं कि जिस से लोगों को शीघ्र से शीघ्र फैसला मिल सके ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि एक डेढ़ महीने के अन्दर अब इन पड़े हुये मुकदमों का फैसला हो जाये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं इसके लिये हिदायत भेज दूंगा, मगर आदेश दे कर उनके कार्य में दखल नहीं सकता हूं ।

मुन्ना गांव में हरिजनों के पट्टे

*१२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा मुन्ना, तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद के फौज में काम करने वाले किन-किन जवानों ने भूमि पाने के लिये १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, फर्रुखाबाद को दिये हैं और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

कोई भी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१३—श्री होरीलाल यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा मुन्ना, जिला फर्रुखाबाद में किन-किन काश्तकारों ने जमीन पाने के लिये प्रार्थना-पत्र १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में ग्राम समाज को दिये ? उनमें हरिजन कितने हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम कुमार शास्त्री—

६२-६३ में कोई भी नहीं । ६३-६४ में ३३ काश्तकारों ने गांव सभा को प्रार्थना-पत्र दिये थे जिनमें से ८ हरिजन हैं । ३० व्यक्तियों को जिनमें आठों हरिजन भी हैं, को पट्टे दिये गये ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी इन हरिजनों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें पट्टे दिये गये और उन्हें कितनी-कितनी जमीन दी गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

बाबूराम, पुत्र सुब्बन, राम स्वरूप पुत्र छेदी, पोइकर पुत्र रूपलाल, राम भरोसे पुत्र भजनलाल, शिव कुमार पुत्र भजनलाल, छोटेलाल पुत्र फूलचन्द्र, गंगा महेश अनोखे, बाबूराम पुत्र गण जालिम लक्षाराम, साहबलाल, परम, सोने लाल पुत्र छेदी ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३३ लोगों में से ३० लोगों को पट्टे दिये गये तो जिन ३ लोगों को नहीं दिये गये, उन तीन लोगों के नाम क्या हैं और उनको न मिलने का क्या कारण हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

तीन व्यक्तियों को उनकी अनुपस्थिति के कारण पट्टे नहीं दिये गये, जिनके नाम मुन्शी लाल पुत्र कलेश्वर, कश्मीर सिंह पुत्र सोहन लाल और विजय सिंह पुत्र सोहनसिंह हैं ।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० आदमियों को कितनी जमीनें दी गईं ? और उसमें से ८ हरिजनों का हिस्सा कितना था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसमें किसी की इत्तला हमारे पास नहीं है ।

ओवरसियरों के वेतन में विषमता

*१४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सत्य है कि पी० डब्लू० डी० (बी०) विभाग के आदेश संख्या ६२२, ई० बी० आर० दिनांक १८ मई, १९६४ के आदेश द्वारा जिन एक्सकैंडर ओवरसियरों की नियुक्ति की गई थी उनको १२० रुपये प्रतिमास निश्चित वेतन दिया जा रहा है और जिनकी नियुक्ति उसी विभाग के आदेश संख्या ४२९९, ई० बी० आर०, दिनांक २१ सितम्बर, १९६४ के अनुसार की गई थी, उनको १६५ रुपये प्रति मास निश्चित वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो एक ही श्रेणी के तथा एक ही योग्यता के कर्मचारियों में इस प्रकार की विषमता के कौन-कौन से कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

जी हां। यह विषय शासन के विचाराधीन है।

१५—श्री गणेशचन्द्र काछी तथा श्री नरोत्तमसिंह—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ओवरसियर जो १८ मई, सन् १९६४ के आदेशानुसार नियुक्त किये गये थे उनको आरम्भ के कुछ महीनों तक १६५ रुपये प्रतिमास निश्चित वेतन दिया गया था और कुछ महीनों के बाद १२० रुपये प्रतिमास दिया जा रहा है और १२० से अधिक धन जिनको मिल चुका था उसे वापस लिया जा रहा है ? ऐसा क्यों है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। शासकीय आदेश द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक भूल से दिये गये वेतन को वापस लिया जा रहा है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

विचाराधीन विषय पर आखिरी निर्णय किस तारीख तक हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

निर्णय तो करीब-करीब हो गया है, चन्द दिनों में उस पर आदेश जारी हो जायेंगे।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि जब तक यह विषय विचाराधीन है तब तक उनसे वह धन वापस न लिया जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सम्बन्ध में तो निर्णय ले लिया गया है कि वह धन तो उनसे वापस लेना ही है।

बुलन्दशहर से मुख्य रेलवे लाइन निकालने की मांग

*१६—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर), श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री अनीसुर्रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेगी कि बुलन्दशहर नगर से एक मुख्य रेलवे लाइन निकाली जाय जिस से कि बुलन्दशहर जिले की उन्नति हो सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। बुलन्दशहर नगर रेलों तथा पक्की सड़कों से भली-भांति जुड़ा हुआ है। यहां किसी अन्य रेलवे लाइन की आवश्यकता इस समय नहीं मालूम होती।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जब कि सभी पश्चिमी जिले किसी न किसी मेन लाइन पर हैं और बुलन्दशहर भी आसानी से मेन लाइन पर किया जा सकता है तो मंत्री जी क्यों इसकी आवश्यकता नहीं समझते कि वहां की जनता की जबरदस्त मांग भी है और वहां की उन्नति और विकास भी रुका हुआ है ? सरकार को तो सिर्फ केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना है तो वह क्यों नहीं इस ओर ध्यान देती ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस से ज्यादा महत्वपूर्ण लाइनों के लिये सूबे की सरकार द्वारा रेलवे मंत्रालय को लिखा जा चुका है लेकिन वे काम अभी तक नहीं हो पाये हैं, तब यह जो नीचे की प्राथमिकता वाला है इसके लिये क्या कहा जा सकता है ?

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या तीन वर्ष पूर्व इस सम्बन्ध में सर्वे हो चुका है और अगर प्रादेशिक सरकार की थोड़ी-सी मदद हो जाय तो हमारा विश्वास है कि बुलन्दशहर मेन लाइन पर आ जायगा, तो क्या मंत्री जी सहायता करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मेरे सामने तो इस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लाइनें हैं ।

*१७—श्री विजयसिंह—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१८-१९—श्री विजयसिंह—

[सातवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सरकारी कर्मचारियों की मांगें

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन विधान भवन के सामने कितने दिनों से हो रहा है तथा उनकी क्या मांगें हैं और सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सरकारी कर्मचारियों का विधान भवन के सामने प्रदर्शन २७ जनवरी, १९६५ से लेकर १२ फरवरी, १९६५ तक नियमित रूप से हुआ था ।

उनकी मांग है कि महंगाई भत्ते तथा वेतन में वृद्धि की जाय, समान काम करने वालों को समान वेतन दिया जाय तथा केन्द्रीय तथा प्रदेशीय कर्मचारियों के वेतन में समानता हो ।

सरकार ने इन सब मामलों पर विचार करने के लिये वेतन अभिनवीकरण समिति, १९६४ का गठन किया है जिसका प्रतिवेदन अप्रैल, १९६५ तक प्राप्त होने की आशा है । फिर भी सरकार ने १ जनवरी, १९६५ से ४५० रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले पूर्ण-कालिक नियमित सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में अन्तरिम सहायता देने के आदेश जारी कर दिये हैं ।

बिक्री-कर विभाग में लिपिकों की पदोन्नति में अनियमितता

*२१—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के कोई सेवा नियम बने हैं ? यदि नहीं, तो उक्त विभाग में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को पदोन्नति और स्थायीकरण किस आधार पर किया जाता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी नहीं। बिक्री कर विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को पदोन्नति और उनका स्थायीकरण अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की भरती हेतु सामान्य नियमों के अन्तर्गत किये जाते हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

इस बिक्री-कर विभाग में बहुत गड़बड़ी है और मैं उसे लिख कर दे दूंगा लेकिन जब सरकार का यह आदेश है कि जो कर्मचारी निम्नतम योग्यता हाई स्कूल की नहीं रखते उनकी नियुक्ति और पदोन्नति के समय योग्यता की छूट सरकार से लेनी पड़ती है तो श्री रामपाल सिंह की नियुक्ति दूसरी बार पदोन्नति और आगा रजा की पदोन्नति के केस में सरकार से छूट क्यों नहीं मांगी गयी ?

श्री जयराम वर्मा—

इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या सरकार बतायेगी कि पी० के० महाजन की नियुक्ति ५३ में हुई और उनको ६० में स्थायी किया गया जबकि राम लाल श्रीवास्तव की नियुक्ति सन् १९५७ में हुई थी और उनको ५८ में ही स्थायी कर दिया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

इस तरह की सूचना उनके पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

इसमें श्रीमन्, नियमों की अवहेलना की गयी है। तो मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं अगर मैं उनको लिख कर सारी अनियमिततायें दे दूंगा तो क्या वे जानकारी करा के उनको ठीक कर देंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

छात्र चिकित्सालय, बरेली

*२२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में हिन्द सिनेमा के पास स्थित छात्र चिकित्सालय में कितने विद्यार्थियों की चिकित्सा वर्ष १९६२–६३ व १९६३–६४ में की गई तथा कितने विद्यार्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा इस चिकित्सालय के अधिकारी द्वारा उक्त वर्षों में की गई तथा ये विद्यार्थी किस-किस संस्था में किस-किस स्कूल से सम्बन्धित थे ?

नोट—तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२३—क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय के अधिकारी कोई विद्यार्थियों के लाभ का कार्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी अधिक सुविधा मिलने के कारण सदर अस्पतालों में चले जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस डिस्पेंसरी को समाप्त करेगी जिस से जनता के पैसे का सही उपयोग हो सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२४–२६—श्री जसरामसिंह—

[नवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

आलापुर ग्राम से प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र

*२७—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक १० अगस्त, १९६४ के लिखित पत्र के साथ तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम आलापुर के दिनांक ११ अप्रैल, १९६४ का लिखित किसानों का कोई पत्र भी प्राप्त हुआ है जिसमें प्रधान द्वारा गांव समाज की सम्पत्ति के दुरुपयोग करने की शिकायत है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, ऐसा प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधीश के पास नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये भेज दिया गया था । उप-मंडलाधीश नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं ।

गोला–संसारपुर तथा गोला–सिकन्दराबाद सड़क

*२८—श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस बात की सूचना है कि गोला-संसारपुर एवं गोला-सिकन्दराबाद रोड्स, जिला खीरी पर उनके विभाग द्वारा राजकीय रोडवेज की बस गाड़ियों के चलाने पर रोकथाम लगा दी गई है, जिससे जन साधारण को महान कष्ट है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गोला-संसारपुर तथा गोला-सिकन्दराबाद सीमेंट कांक्रीट ट्रैक है जो बैलगाड़ियों द्वारा इस्तेमाल करने के लिये बनाये गये थे । बसों के चलने से इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी इसलिये इन पर रोडवेज की बसों का चलना २८ अप्रैल, १९६४ से रोक दिया गया था ताकि इनकी मरम्मत की जा सके ।

*२९—श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खीरी की मंत्रणा समिति ने कोई प्रस्ताव प्रेषित करके शासन को भेजा है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां । प्रश्नगत सड़कों पर राजकीय रोडवेज बसों के चलने पर लगाई गई रोक थाम हटा ली गई है ।

*३०-३१ —श्री उग्रसेन—

[नवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।

ग्राम के पेड़ काटने के सम्बन्ध में धुरवारा के प्रधान की शिकायत

*३२—श्री पितईराम (जिला रायबरेली)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली विकास खंड, डलमऊ, ग्राम धुरवारा के प्रधान ने तहसीलदार, डलमऊ को शिकायती पत्र इस आशय का भेजा है कि ग्राम समाज की जमीन नं० २८ से कुछ लोगों ने जबरन ग्राम के हरे पेड़ काट लिए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले में बैलों के लिए तकावी

*३३—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में बाराबंकी जिले को तहसीलवार कितनी-कितनी धनराशि बैलों की तकावी के लिए तहसीलों को दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बैलों की तकावी के लिए कोई अलग से रकम नहीं दी जाती है । इसका खर्चा नार्मल तकावी से, जिसमें आपत्कालीन तकावी भी सम्मिलित है, होता है । इस वित्तीय वर्ष में जिला बाराबंकी में आवंटित तकावी, व उसमें से बैलों के लिए दी गई रकम का तहसीलवार ब्यौरा निम्नलिखित है —

तहसील	आवंटित नार्मल तकावी	बैलों के लिये दी गई तकावी
	रु०	रु०
१—रामसनेही घाट	३५,०००	२७,०७५
२—फतेहपुर	५५,०००	२५,२००
३—हैदरगढ़	२०,१५०	५,७००
४—नवाबगंज	१९,८५०	२,७०५
योग ..	१,३०,०००	६०,६८०

*३४—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

[नवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*३५-३७—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

[नवें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये ।]

जालौन जिले में सड़कों का निर्माण

*३८—श्री विजयसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में नदी गांव में पहूज नदी पर २६ लाख रुपए की लागत का पुल बनवाने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वह कार्य कब से प्रारंभ करने जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण इस समय संभव नहीं है।

*३९—श्री विजयसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बतायेंगे कि जालौन जिले में, जहां यातायात के साधनों का अभाव है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना कार्य और होने जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तृतीय योजना के अन्तर्गत जालौन जिले में १८ मील लंबी सड़कें बन चुकी हैं और १३ मील लम्बी सड़कों पर कार्य हो रहा है।

*४०—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ग्रिड फारमूला के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण में जालौन जिले में सड़कों का कितना काम और होना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तृतीय योजना के शेष काल में योजना में सम्मिलित सड़कों के शेष कार्य को कार्यान्वित किया जायगा।

सिटी इण्टर कालेज, बाराबंकी में विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध

*४१—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी सिटी इंटर कालेज, बाराबंकी की विज्ञान की ग्यारहवीं कक्षा खोलने के लिए विज्ञान का सामान खरीदने हेतु कितनी सरकारी सहायता दी गई और इस समय कितने मूल्य का सामान उपरोक्त कक्षा में मौजूद है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सिटी इंटर कालेज, बाराबंकी को विज्ञान की ग्यारहवीं कक्षा खोलने के लिए तथा विज्ञान का सामान खरीदने हेतु कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई।

इस समय २५,६१० रुपये का विज्ञान का सामान इन्टर कक्षाओं के लिए विद्यालय के स्टाक में उपलब्ध है।

*४२—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी ने सिटी इण्टर कालेज, बाराबंकी की प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष से मिलकर गलत तरीके से विज्ञान के सामान की खरीदारी की सूचना माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को भेजी थीं जब कि उपरोक्त कालेज में उस समय विज्ञान की ग्यारहवीं कक्षा खोलने के लिए कोई सामान नहीं खरीदा गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं, आक्षेप निराधार है। विज्ञान के सामान खरीदने की सूचना तथा प्रबंधक द्वारा सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति से संतुष्ट होने के उपरांत ही विज्ञान वर्ग में कक्षा ११ खोलने की आज्ञा प्रदान की गई।

*४३-४४—श्री कल्पनार्थसिंह—

[नवें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४५—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

[नवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*४६-४८—श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर), श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा दुर्योधनप्रसाद (जिला गोरखपुर)—

[नवें शुक्रवार के लिए स्थापित किये गये।]

*४९—श्री केशरीप्रसाद पांडेय, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

[हटा दिया गया।]

*५०—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[नवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*५१-५३—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

[दसवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ४-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५४-५५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[नवें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गए।]

उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद

*५६—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार सीमा-विवाद के संबंध में पंचवर्षीय निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कौन-सी कार्यवाही हो रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पंच निर्णय को विधिवत कार्यान्वित करने का प्रश्न संसद द्वारा अधिनियम बनाने के बाद ही उठ सकता है। इस समय तो सर्वे विभाग द्वारा केवल प्रारंभिक कार्य किया जा रहा है।

जिला परिषद् कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता न मिलना

*५७—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों को फरवरी, १९६२ से ५ रुपये अधिवेतन वृद्धि एवं १ जनवरी, १९६५ से ५ रुपये, १० रुपया व १२.५० की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी वृद्धि प्रदान की गई है उससे जिला परिषदीय कर्मचारियों को क्यों वंचित किया गया है? यदि सरकार अपने मद से यह व्यय वहन करने में असमर्थ है तो परिषदों को अपने मद से कर्मचारियों को देने पर क्यों रोक लगा रखी है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला परिषदों के कर्मचारियों के वेतन का पूरा भार परिषदों पर ही होता है और सरकार उसका कोई भाग वहन नहीं करती है। अतः ५ रुपये प्रतिमाह की तदर्थ वेतन वृद्धि उन कर्मचारियों को नहीं दी गई।

१ जनवरी, १९६५ से दी गई अंतरिम सहायता केवल सरकारी कर्मचारियों तक इसलिये सीमित की गई है कि वेतन अभिनवीकरण समिति उन्हीं के मामले पर विचार कर रही है और अंतरिम सहायता समिति की सिफारिश पर दी गई है।

जिला परिषद् के कर्मचारियों को भत्ते आदि देने पर रोक लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि इन कर्मचारियों के भत्ते आदि का भार राज्य की संचित निधि पर नहीं पड़ता है। यदि जिला परिषदें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कोई भत्ता देना भी चाहें तो नियमानुसार उन्हें शासन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

*५८—श्री मंगलदेव—

[३१ मार्च, १९६५ को प्रश्न ७५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*५९-६०—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

[हटा दिये गये।]

उसका बाजार विकास खण्ड निकटवर्ती सड़क

*६१—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती में उसका बाजार विकास खंड के पास स केवल दो फर्लांग दूर ही निर्माण विभाग की सड़क समाप्त हो जाती है? उसे क्या सरकार विकास खंड के हेड-क्वार्टर तक बनाने की कृपा करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

झांसी कोतवाली की बिल्डिग में खराबी

*६२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सार्जवनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पुलिस कोतवाली झांसी में जो कई लाख रुपये में नयी इमारत बनी है उसके बनने के पश्चात् उसकी दीवारें वा छतें फट जाने इत्यादि की जांच लगभग १ वर्ष से अधिक चल रही है? यदि हां, तो किस अधिकारी के विरुद्ध व किस ठेकेदार के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है व जांच अधिकारी कौन है व कौन-कौन अधिकारी उक्त कांड से संबंधित है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पुलिस कोतवाली बिल्डिग झांसी के निर्माण के संबंध में जो जांच हो रही थी वह अब पूरी हो गयी है। इस जांच के फलस्वरूप अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को कड़ी चेतावनी (severe censure) दे दी गयी और इसे उनकी चरित्र पंजी (character Rolls) में रख दिया गया है। ठेकेदार के बिल से ५,७४९ रुपये उसकी गलतियों के कारण काट लिए गये। जांच मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवायी गयी।

*६३—श्री हरीशकुमार गंगवार

[नवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

फतेहपुर जिले में लेखपालों का हटाया जाना

* ६४—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि फतेहपुर जिले की प्रत्येक तहसील में क्या कुछ ऐसे लेखपालों के नाम सूची से पृथक कर दिए गये हैं जो पटवारियान प्रशिक्षण केंद्र से परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् काफी समय से कार्य कर रहे थे ? यदि हां, तो वर्ष १९६४–६५ में सूची से पृथक हुए लेखपालों के नाम क्या हैं तथा कितनी अवधि तक प्रत्येक ने कार्य किया व प्रत्येक की उम्र क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१९ ऐसे लेखपालों के नाम, जिनकी आयु दिनांक ३० सितंबर, १९६४ को २५ वर्ष से अधिक हो गई थी, नियमानुसार सूची से पृथक कर दिये गये हैं। इन लेखपालों के बारे में सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६३ पर)

* ६५—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उम्र की पाबन्दी निरस्त कर पुनः सूची में नाम अंकित करने के लिए कुछ लेखपालों ने आवेदन-पत्र उक्त अवधि में दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक किसमें और क्या निर्णय हुए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चार लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिया है। निर्णय अभी नहीं हुआ है।

* ६६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री जी उन लेखपालों के विषय में, जिन्हें सूची से पृथक किया गया है, सहानुभूतिपूर्वक इसलिए विचार करेंगे कि उन्हें अब अधिक उम्र हो जाने के कारण किसी दूसरी नौकरी में स्थान नहीं मिल सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो लोग प्रार्थना-पत्र देंगे उस पर नियमानुसार विचार होगा।

सिविल इंजीनियर, लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यकाल में वृद्धि

* ६७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्र दिनांक १ फरवरी, १९६५ क्रमांक सी० आई०-७७८६ / बी० बी०—४००(४२)–१९६२, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (ग–१), विभाग, लखनऊ के द्वारा रजिस्टार, लखनऊ विश्वविद्यालय को सूचित किया गया था कि सिविल इंजीनियर, लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवायें २७ फरवरी, १९६५ तक उनकी ६० वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाने के कारण समाप्त कर दी जाय ? यदि हां, तो सिविल इंजीनियर महोदय इस समय अपने पद पर किस आदेश से काम कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुरोध पर प्रश्न में उल्लिखित सरकारी आदेश में सिविल इंजीनियर, लखनऊ विश्वविद्यालय की पुर्नानियुक्ति की स्वीकृति २७ फरवरी, १९६५ तक दी थी। विश्वविद्यालय के पुनः अनुरोध पर सिविल इंजीनियर के कार्यकाल की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६५, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २९ मार्च, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ३० मार्च, १९६५ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय, की अनुमति दिनांक ३१ मार्च, १९६५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का ९वां अधिनियम बन गया ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कार्य स्थगन और नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनाएं आई हैं उनको मैंने अस्वीकृत कर दिया है । कामरोको प्रस्ताव जो आया है वह उसी प्रकार का है जो कल आया था इस वास्ते मैंने उसको भी अस्वीकार कर दिया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, लासा से थोलोमठ तक एक नई सड़क चीनियों ने बना ली है जिससे हमारे देश के लिए भारी सुरक्षा का प्रश्न पैदा हो गया है । यह सुरक्षा का सवाल है इसलिए मैं इस पर केवल बयान चाहता हूं । आप बयान दिला दें कि सुरक्षा के विषय में हमारी क्या स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष—

यही विषय कल आया था । उस समय मैंने बतलाया था कि यद्यपि यह विषय महत्वपूर्ण है लेकिन यदि कोई घटना हो तो वह घटना ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकार का कोई प्रत्यक्ष संबंध हो । अब आप कह रहे हैं कि वहां पर भगदड़ मच रही है । वह केंद्रीय सरकार की असावधानी के कारण हो सकती है इस वास्ते कि वहां पर कोई चौकी है और वह चौकी केंद्र की असावधानी से चीनियों ने कायम की है । अगर कोई सड़क बना ली है तो वह भी चीन ने बना ली है लासा से थोलोमठ तक । इस वास्ते यह केंद्रीय विषय है, हमारा विषय नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वहां पर हमारी पी० ए० सी० पड़ी हुई है तो वह हमारी बटालियन वहां पर क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे बात कर लीजिएगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हमारी पी० ए० सी० की बटालियन वहां पर पड़ी हुई है, उसका खर्चा भी केंद्रीय सरकार नहीं दे रही है । तो जब वे चीनी घुसेंगे तो हमारे प्रांत में ही घुसेंगे इसलिए मंत्री जी को यह सूचना देनी चाहिए ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, श्री रियासत हुसैन और मेरे नाम पर भी एक इसी तरह की सूचना है कि गोरखपुर के अन्दर चीनियों की तरफ से कुछ किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर इस तरह से बहस होने लग जाय तो सारा सदन बहस करेगा। मैं यह कह रहा हूं कि आप आ जायं और अगर मेरी समझ में आ जायगा तो मैं ले लूंगा।

श्री बलवानसिंह—

यू० पी० का एक गांव दोनों देशों के अन्दर, नेपाल और हिन्दुस्तान के अन्दर बटा हुआ है। उसके अन्दर नेपाल की तरफ से सामान आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

वह और विषय है और यह और विषय है। दो प्रस्ताव नियम ५२ के अन्दर आये हैं। माननीय रियासत हुसैन और माननीय बलवानसिंह का भी नियम ५२ में आया है। जिसके ऊपर इस सदन में बयान हो चुका है। तब भी मैं इसको माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज रहा हूं कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दें और दूसरा जो काशीनाथ जी का अस्वीकार हो गया है, उसको भी भेज रहा हूं कि वह देख लें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, श्रीमन्।

श्री बलवानसिंह—

इस पर स्पष्टीकरण दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे पास आकर समझा दें तो मैं समझ लूंगा।

कानपुर-झांसी लाइन पर डाकुओं द्वारा रेलगाड़ी लूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

दिनांक २४-३-६५ की रात्रि को लगभग साढ़े दस बजे अपर पैसेंजर रेलगाड़ी कानपुर रेलवे स्टेशन से झांसी के लिये रवाना हुई। यह रेलगाड़ी लगभग ११ बजे रात्रि में पामा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जब रेलगाड़ी पामा स्टेशन से चली तो लगभग १०-१२ व्यक्ति जो लाठी, भाला, व पिस्तौल लिये हुए थे एक थर्ड क्लास के डिब्बे में चढ़ गये और उस डिब्बे के यात्रियों को अपने अपने सामान को समर्पित कर देने के लिये विवश किया। अपराधियों ने यात्रियों को लाठी और फरसा आदि से घायल किया और पिस्तौल भी चलाई। डिब्बे में यात्रियों को लूटने के पश्चात अपराधियों ने जंजीर खींच कर गाड़ी रुकवाई तथा उतर कर भाग गये।

इस रेलगाड़ी में स्टाफ के साथ असिस्टेन्ट सेक्योरिटी आफिसर आर० पी० एफ०, झांसी और टी० आई० रेलवेज, झांसी यात्रा कर रहे थे। अपराधियों के भाग जाने के पश्चात यह लोग डिब्बे में आये। रेलवे के गार्ड भी वहां आये और उन्होंने घायलों को फर्स्ट ऐड दी। गाड़ी के पुखरायां रेलवे स्टेशन पहुंचने पर टी० आई० ने टेलीफोन से कानपुर रेलवे स्टेशन पर सूचना दी जिस पर कानपुर में केस दर्ज किया गया और तुरन्त ही सब इंस्पेक्टर जी० आर० पी० द्वारा घटना की जांच आरम्भ की गयी।

सूचना मिलने पर ए० आई० जी० रेलवेज, सेक्शन आफिसर और सेक्शनल इंस्पेक्टर भी घटनास्थल पर गये।

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

लगभग २४ यात्रियों को अपराधियों ने लूटा। प्राप्त सूचना के अनुसार तीन घड़ियां, नकद तथा सोने व चांदी के गहने कुल कीमत लगभग १९८० रुपये का सामान लूटा गया। इस घटना में १० यात्री घायल हुए हैं जिनमें सर्व श्री शोभरन सिंह और चन्द्र चूर को अधिक चोटें आयी हैं और उनका उपचार सिविल हास्पिटल झांसी में हो रहा है। किसी भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई।

अब तक इस घटना के संबंध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा जांच जारी है।

घटना के पश्चात कानपुर-झांसी लाइन पर सरकारी रेलवे पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस का उचित प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्रीमन्, अभी सूचना यह मिली है कि एक आदमी और इसमें गिरफ्तार हो चुका है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह है कि जिस दिन यह रेलगाड़ी लूटी गयी है उसी दिन झांसी में वर्कशाप में रेलवे डिब्बों का नीलाम होने वाला था और उसमें आने वाले खरीदारों को ही लूटने के लिये यह प्लान बनाया गया था, उनके न मिलने पर दूसरों को लूटा गया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

क्या प्लान थी, इसकी सूचना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या जांच से यह पता चला कि वह जो मुसल्लाह लोग, अपराधी थे वे उसी समय स्टेशन पर पहुंचे थे या कुछ समय पहले?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अगर इसकी पहले से सूचना होती तो उनको गिरफ्तार ही न कर लिया गया होता?

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

इस घटना से लोगों में जो भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है, इसे दूर करन के लिये तथा भविष्य में ट्रेन्स में इस प्रकार की घटनायें न हों, इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह प्रबन्ध कर दिया गया है कि ५-६ कान्सटेबिल तो जी० आर० पी० के रहेंगे, उसके अलावा १० पी० ए० सी० के ट्रेन के साथ रहेंगे। इससे जो लोगों में भय उत्पन्न हो गया है वह दूर हो जायेगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

जब डकैत चले गये तो गाड़ी कितनी देर खड़ी रही, और वहां पर उपस्थित अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने की क्या कोशिश की?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उस वक्त तो पुलिस के अधिकारी इतने थे ही नहीं जो उन्हें गिरफ्तार कर पाते।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

रात की ट्रेन के साथ कुछ पुलिस रहती है, तो जब डकैतों ने जंजीर खींच कर लोगों को लूटा और भागने लगे तो पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस का आदमी ट्रेन के साथ नहीं होता। आर० पी० एफ० का होता है। उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा, इसकी सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं, यह बात सच है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

जब डकैत भागने लगे तो उन्होंने कोई फायर भी किये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

डाकुओं ने फायर किये हैं, उसको कुछ लोगों ने सुना है। लेकिन चलते वक्त किये हैं, यह सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह जो १९८० रुपये का सामान लूटा गया बताया गया है, इसमें ३ घड़ियां की कीमत भी शामिल है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कुल १,९८० रुपये की कीमत का सामान लूटा गया है जिसमें घड़ियां, जेवर आदि सब चीजें हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

डाकुओं के आकर्षित होने का कारण संपत्ति थी या कोई व्यक्तिगत द्वेष था जिसके कारण इन्होंने डकैती डाली ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी सूचना नहीं है कि कोई व्यक्तिगत द्वेष था।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

जब डाकुओं ने फायर किये उस समय जो पुलिस के अधिकारी जा रहे थे, उन्होंने उसकी आवाजों को सुनकर उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उस वक्त तो गाड़ी चल रही थी।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हांडा गार्ड का कत्ल हुआ, उसके पहले भी डाकुओं ने इसी ट्रेन के यात्रियों को लूटा था और जब आये दिन इस ट्रेन में इस तरह की घटनायें हुआ करती हैं तो इसके पूर्व उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी सूचना हमारे पास पहले नहीं आयीं।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे अब तक जांच के दौरान सही चीज का पता लग सका है कि केवल डकैत ही इस काम में थे या उनके साथ और कौन-कौन थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

४ आदमी पकड़े गये हैं और अभी मुझे सूचना मिली है कि एक आदमी और गिरफ्तार हो चुका है। कोई सामान मिला नहीं है, और जैसा कि मैंने निवेदन किया, आज तक यह नहीं मालूम हो सका है कि उसमें कौन-कौन शामिल थे।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक जो ५ आदमी गिरफ्तार हुए हैं वे किस जिले के और कहां के रहने वाले हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

४ आदमी तो कानपुर जिले के रहने वाले हैं, पांचवे आदमी के बारे में नहीं मालूम है जिसके गिरफ्तार होने की अभी सूचना मिली है।

श्री बलवानसिंह----

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब पाहा स्टेशन पर १५-२० आदमियों का इतना बड़ा दल जिनके पास जाहिरा बल्लम व बन्दूक थे, गाड़ी में चढ़ा, तो इसकी जानकारी वहां के स्टेशन मास्टर को पहले से थी ? इस तरह की कोई सूचना आपके पास आयी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

स्टेशन मास्टर को सूचना थी, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा----

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डाकुओं द्वारा जो यात्री घायल हुए, उनमें कितने यात्रियों को बन्दूक और पिस्तौल से चोटें आयी हैं और उनकी क्या दशा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

८ यात्रियों को तो साधारण चोटें थीं, जिनको फौरन ही मरहम पट्टी करके भेज दिया गया। दो आदमियों को ज्यादा चोटें थीं, उनका एक्जामिनेशन हुआ और वे अस्पताल में दाखिल हैं।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १० व्यक्ति घायल हुए हैं वे किस जिले के रहने वाले हैं ? जो ४ डाकू पकड़े गये हैं क्या वे उन्हीं जिलों के रहने वाले हैं जिन जिलों के घायल हुए लोग हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

वे अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं। इसमें झांसी जिले के हैं, सुल्तानपुर जिले के भी हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० के लोग जिन गाड़ियों में चलते हैं वे रात के समय फर्स्ट क्लास क डिब्बे को

बन्द कर आराम से सो जाते हैं, तो केन्द्रीय सरकार और दूसरे संबंधित आफिसरों का ध्यान इस तरफ दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, सो जाते हैं या नहीं सोते हैं, जब उस पुलिस पर हमारी व्यवस्था नहीं है तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है।

बद्रीनाथ में भू-स्खलन के सम्बन्ध में वक्तव्य

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

बद्रीनाथ नगर में पिछली फरवरी में अत्यधिक हिमपात के फलस्वरुप आये हुए बर्फीले अन्धड़ के दौरान एक हिमखन्ड टूटकर मन्दिर से जा टकराया था। जांच किये जाने पर चमौली स्थित जिला अधिकारियों ने यह बतलाया कि नारायण पर्वत की ओर से आया हुआ उक्त विशाल हिमखन्ड मन्दिर के पीछे की दीवाल से टकराया और फिर दो भागों में टूटकर लुढकता चला गया। इससे मन्दिर को संभवतः कोई हानि नहीं पहुंची क्योंकि मन्दिर की दीवारें मजबूत थीं।

हिमखन्ड के उक्त दोनों भागों की चपेट में आकर मन्दिर के दोनों ओर स्थित अधिकांश व्यक्तिगत मकान और दूकानें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनमें एक ओर नेपाली तथा आन्ध्र धर्मशाला और बिजलीघर आदि तथा दूसरी ओर का बाजार भी शामिल हैं। बाजार की अधिकांश दूकानों की छत गिर गई बताई जाती है और व्यक्तिगत मकान जिसमें पन्डों के मकान और यात्रियों के ठहरने की जगह शामिल है, या तो गिर गये या रहने योग्य नहीं रह गये। मन्दिर के सामने वाले पुल और अलखनन्दा नदी के बांयें तट पर स्थित बिड़ला धर्मशाला की ऊपरी मंजिल को भी नुकसान पहुंचा है।

अब तक प्राप्त सूचना से प्रतीत होता है कि उक्त क्षेत्र अब भी ८ फीट बर्फ से ढका हुआ है और वहां प्रवेश की उपरोक्त कठिनाई के कारण वास्तविक क्षति का पूरा पता लगाना संभव नहीं है पर जिलाधिकारियों का यह कहना है कि इस हिमपात से वहां किसी की जान जाने की सूचना उन्हें नहीं मिली है।

जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं कि जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश संभव हो सके वह सारी हानि का सही अन्दाज लगायें। वह एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी को इस उद्देश्य से विशेष तौर पर वहां भेजेंगे। उनकी रिपोर्ट मिलने पर ही प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता दिये जाने तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में समुचित बिचार हो सकेगा। फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मकानों और धर्मशालाओं को नुकसान पहुंचा है, कुछ टीन, सीमेन्ट और लोहे की सरिया की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ तम्बू व छोलदारी तथा लकड़ी के तख्ते और बल्लियां भी शीघ्र पहुंचाई जा सकें। यथा संभव आटा और चावल भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है।

इससे पूर्व आये हुए हिमखन्डों से हुई क्षति को अनुभव कर सरकार का बिचार बना था कि अलखनन्दा नदी के दूसरी ओर, जिस तरफ पहाड़ पक्का है, एक नया नगर बसाने की योजना तैयार की जाय। किन्तु आपतकालीन व्यवस्था (एमरजेन्सी) आ जाने से सुरक्षा संबधी आवश्यकताओं के कारण उस पर आगे कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

आगामी यात्राकाल में ऋषीकेश-जोशीमठ मार्ग पर सड़क के नव-निर्माण का कार्य पूरी तौर पर चलेगा और प्रति सप्ताह दो दिन उस मार्ग को कतई बन्द रखना होगा ।

स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में इस वर्ष यात्रियों को मार्ग से जाने और ठहरने में काफी तकलीफ होगी किन्तु वैसे मन्दिर की कमेटी अस्थायी रूप से व्यवस्था करने में संलग्न है । सरकार यह आशा करती है कि यात्रीगण असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जहांतक हो सके अपनी इस वर्ष की यात्रा स्थगित कर देंगे ।

१० मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १० मार्च, १९६५, को श्री गणेशचन्द्र काछी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ के संबंध में श्री दयाराम शाक्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि नालियों के बनाने के लिये जो अनुदान दिया जाता है क्या विभिन्न जिलों में उसके संबंध में विकास क्षेत्रों में विभिन्न नीति है । उसका उस समय उत्तर दिया गया था कि "नीति तो एक ही है कि एक मील के लिये ६,००० रुपया दिया जाता है और जो नाली बनाकर पूरा कर लेता है तो उसमें ३३ प्रतिशत अनुदान मिल जाया करता है ।"

यह उत्तर ठीक नहीं था । सही उत्तर इस प्रकार है : "नीति तो एक ही है कि एक मील की नलकूप की नाली निर्माण करने के लिये दो हजार रुपया अथवा ३३ प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान मिल जाया करता है ।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६४ पर)

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५†

*माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५, पर विचार किया जाय ।

इस सिलसिले में चन्द बातें आपकी आज्ञा से मुझे कहनी हैं । हर साल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उनके विकास के लिये कर्जा दिया जाता है । दस हजार रुपये तक का कर्जा जिलाधीश देते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमेटी की सिफारिश से और दस हजार से १५ हजार तक स्टेट लोन्स ऐन्ड ग्रान्ट्स कमेटी देती है तथा १५ हजार से १ लाख तक फाइनेंस कारपोरेशन देता है । इस तरह से काफी रकम हर साल दी जाती है । इसके अलावा रेवन्यू डिपार्टमेन्ट से भी नान-एग्रीकल्चरिस्ट्स को हम अनुदान वगैरह दिया करते हैं । एनीमल हस्बैन्ड्री डिपार्टमेन्ट से भी इसी तरह रुपया दिया जाता है । यह सब रकमें जो हैं इनको वसूल करने का काम रेवन्यू विभाग को सुपुर्द होता है। बहुत से ऐग्रीमेन्ट्स, मुआहिदे हमारे दरमियान में ऐसे होते हैं जिनमें यह तय कर दिया जाता है कि पेमेंट न होने की दशा में बतौर मालगुजारी के वसूलयाबी की जा सकती है । लेकिन कुछ रिट हाई कोर्ट में दाखिल हो गई हैं और उनमें से तीन मंजूर भी हो गई हैं जिनसे कुछ ऐसा पता चलता है और

---

†२४ मार्च, १९६५ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे ला डिपार्टमेन्ट ने भी हमको यह राय दी है कि यह मुआहिदे हो जाने के बावजूद भी बतौर मालगुजारी के वसूली करने का तरीका कुछ संदिग्ध सा प्रतीत होता है। इस वजह से यह विधेयक हम लाये हैं और सिर्फ तीन क्लाजेज का यह छोटा-सा विधेयक है। यह सदन, इस पर ठीक तरह से बिचार करके इसे पारित कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर बिचार करने का जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसे स्वीकार करेगा।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ को जनमत संग्रह के लिये एक मास तक परिचालित किया जाय।

श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था तो माननीय मंत्री जी ने सही तथ्यों को छिपाया। (व्यवधान) जी हां, मेरा चार्ज है आप पर। मैं चार्ज लगा रहा हूं कि सरकार ने सही तथ्य छिपाये हैं।

(इस समय १२ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुये)

उस वक्त मैंने यह कहा था कि यह धन विधेयक है और इसके साथ-साथ यह भी हमने बताया था कि यह कंसालिडेटेड फंड से रुपया खर्च होता है और कंसालिडेटेड फंड में जमा होता है। इससे पहले कि मैं और कोई बात कहूं मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान यूनाइटेड प्राविंसेज फेमीन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६, की ओर दिलाना चाहता हूं। यह ऐक्ट सन् १९३६ में पास हुआ और इसकी धारा ८ में दिया हुआ है पावर आफ दि स्टेट गवर्नमेंट टु मेक रूल्स—

"The State Government may make rules consistent with this Act, for the purposes of the provisions of this Act."

आज २९ साल हो गये, लेकिन इसके आज तक कोई भी नियम नहीं बने और जब तक नियम नहीं बनेंगे, यह सरकार इस पैसे को किसी तरह से खर्च नहीं कर सकती। २९ साल से यह सरकार बराबर अनियमित रूप से इस रुपये को खर्च करती जा रही है जबकि यह कंसालीडेटेड फंड से खर्च होता है। मैंने १९६५ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक मंगाया उसमें ४० नं० की ग्रांट में दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ९६ लाख ४९ हजार २०० रुपये की ग्रांट सदन ने स्वीकार की है। यह ऐसी ग्रांट है, जो कंसालीडेटेड फंड से होती है, और जब तक असेंबली वोट न कर दे, तब तक उसको किसी तरह से खर्च नहीं किया जा सकता। मतलब यह कि कंसालीडेटेड फंड पर चार्ज्ड होने के कारण लेजिस्लेचर का उस पर कंट्रोल है। उत्तर प्रदेश फैमीन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ में संशोधन १९६१ में किया गया और जो विधेयक पास किया गया, उसका नम्बर १९, सन् १९६१ है। इस विधेयक के जरिये इसके फंड दो, सात और चार में मूल धारा ७ है, जो तीन है, उसकी भी मूल धारा सात है और जो खंड २ है, वह इसकी मूल धारा ३ है। तो मैं पहले खंड ३ पढ़ना चाहता हूं, उसमें लिखा हुआ है कि

"Establishment of Famine Relief Fund—As soon as may be, the (State Government) shall establish in and for (Uttar Pradesh) a Fund called Uttar Pradesh Famine Relief Fund. The Fund shall consist of....."

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हर बात सुनी भी नहीं जाती, सुनने के लायक ही बात सुनी जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ध्यान से जरा सुनें। जो फण्ड एस्टैब्लिश होगा, उसमें क्या चीजें होंगी यह मैं बता रहा हूं। The Fund can consist of the securities of the Central Government mentioned in section 4" दूसरी बात यह होगी कि इन्टरेस्ट ह्विच मे फ्राम टाइम टु टाइम एक्रू आन सच सिक्योरिटीज। १९६१ में जो संशोधन हुआ था, उसके २ (ए) में लिखा हुआ है--

"A sum of 50 lakhs of rupees to be assigned to the Fund every year from the Consolidated Fund of the State, and....."

यह गौर करने की चीज है। इस रिलीफ फण्ड में कंसालीडेटेड फण्ड में से हर साल ५० लाख रुपया डाइवर्ट किया जायगा। मैं आपका ध्यान जरा धारा ७ की ओर ले जाना चाहता हूं। उसी विधेयक के जरिये जो १९६१ में संशोधन आया था, उसके पैरा ७ में दिया हुआ है, जो ७(ए) के रूप में ऐड किया गया है--

"7-A. The amount assigned to the Fund every year under clauses (ii-a) and (iii) of section 3 shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State."

एक सदस्य--

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन् मैं आपका ध्यान फैमिन रिलीफ फण्ड ऐक्ट की धारा ३ और ७ की ओर दिला रहा था कि जिसमें यह दिया हुआ है कि कन्सालीडेटेड फण्ड जो होता है उससे इसमें रुपया आता है और साथ में यह दिया हुआ है कि धारा ३ के अन्तर्गत जो खर्चा होगा वह कन्सालीडेटेड फण्ड पर चार्ज्ड होगा। यह दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब मैं मंत्री जी का ध्यान तीसरी चीज की तरफ ले जाना चाहता हूं। जहां तक मनी बिल का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद १९९ (१) के क्लाज (सी) और (एफ) में दिया गया है कि--

"(*c*) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of the State, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;

(*f*) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of the State or the public account of the State or the custody or issue of such money;"

तो धारा ३ में यह दिखाया गया है कि कन्सालीडेटेड फण्ड से यह रुपया आया है .....

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब सदन के सामने एक मर्तबा तय हो करके रूलिंग हो गई है, तो क्या दोबारा उसी तरह का एतराज हो सकता है?

श्री अधिष्ठाता--

यह माननीय सदस्य की स्पीच हो रही है। आब्जेक्शन नहीं है। उनको बोलने का अधिकार है।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं दिखा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी की कथनी और करनी में फर्क है। आप इस बिल को जरा जनमत के लिये भेज दें तो मालूम हो जायगा कि मंत्री जी और उनका ला डिपार्टमेंट किस तरह से सो रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे अधिकारियों ने कह दिया कि यह मनी बिल नहीं है इसलिये अब कोई जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि अगर अधिकारी कह रहा है, तो उसी को भेज दीजिये यहां। आपकी क्या जरूरत है? मैं तो चाहूंगा कि अधिकारी के कहने के बाद अपोजीशन की भी बात सुनिये और तौलिये। अगर वह सही है तो अपनी गलती को आप सुधारें और अगर नहीं सुधारते हैं तो बाद में जो स्ट्रिचर आता है, मैं नहीं चाहता कि वह फिर दोहराई जाय। धारा १९९ (२) में बताया है कि कन्सालिडेटेड फंड से जो पैसा आता है हम उस के कसटोडियन हैं और जैसा कि मैंने (एफ) में पढ़कर सुनाया उसके अनुसार जब आपने कन्सालिडेटेड फंड से रुपया लिया और ५० लाख आप रिजर्व करते हैं तो आप उसके कस्टोडियन बन गये। इस तरह से यह मनी बिल हो जाता है और अगर वह है तो हम कैसे बढ़ सकते हैं? इसके अलावा मैं २०७ की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें दिया हुआ है कि "अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरः स्थापित या प्रस्तावित न किया जायगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक विधान परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायगा"। तो इसके अनुसार बगैर गवर्नर की सिफारिश के इस पर विचार नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्व मंत्री ने कहा है कि यह आबजेक्शन तो मैं पहले रेज कर चुका हूं तो अब क्लाज २०७ (३) में दिया हुआ है कि "जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश न की हो। गवर्नर का कोई आदेश नहीं है इस पर विचार करने के लिये और जब तक गवर्नर का आदेश न हो यह बिल सदन में पास नहीं किया जा सकता। इन्ट्रोड्यूस करने की तो माननीय अध्यक्ष ने इजाजत दे दी लेकिन मैं मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल जिसमें रुपया कंसालिडेटेड फंड से लिया जाता है और जिस रुपये के आप कसटोडियन हैं आप उस पर बगैर गवर्नर की सिफारिश के विचार नहीं कर सकते और न उसको पास कर सकते हैं।

दूसरे, मंत्री जी के दिमाग में यह चीज नहीं आई है .....

श्री अधिष्ठाता--

उसके ऊपर तो स्पीकर महोदय अपना निर्णय दे चुके हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

वह दूसरी चीज थी, यह अलग चीज है.....

श्री अधिष्ठाता--

संविधान के अनुच्छेद १९९ के अनुसार अध्यक्ष महोदय निर्णय दे चुके हैं इसको सदन में रखने का, इसलिये इसकी कार्यवाही अब चलेगी।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैंने २ बातें आपके सामने रखीं। ठीक है, क्लाज १ में इन्ट्रोड्यूस करने का निर्णय दिया है लेकिन पास करने के बारे में न कोई निर्णय दिया है इसलिये मैं क्लाज (३) की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसको आप सुन लें। उस में दिया हुआ है कि....

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कमलासिंह जी, आप संविधान के अनुच्छेद १९९ (३) को कृपया देखें । इसमें दिया हुआ है :--

"If any question arises whether a Bill introduced in the Legislature of a State which has a Legislative Council is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the Legislative Assembly of such State thereon shall be final."

जब एक बार अध्यक्ष अपना निर्णय दे चुके हैं तो फिर उस प्रश्न को क्यों दुहराया जा रहा है ?

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मनी बिल के संबंध में उनकी यह ओपीनियन है । लेकिन अगर हम यह साबित करदें कि इसमें कन्सालिडेटेड फंड से रुपया आया है, उसके ये कस्टोडियन होंगे तो इस पर, श्रीमन्, बिना गवर्नर की इजाजत के पास नहीं किया जा सकता है । इस पर गवर्नर की कोई रिकमेंडेशन नहीं हैं ..... ।

श्री अधिष्ठाता--

आपके संशोधन का सारा समय तो इसमें ही निकल रहा है ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, यह तो मेन चीज है । इसके खंड दो के (५) में लिखा हुआ है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें दिया हुआ है "विपत्ति में सहायता के लिये" अंग्रेजी में ट्रान्सलेशन में दिया हुआ है "for relief against distress" तो इसमें रिलीफ के लिए चीज दी गई है । अब हमें सोचना है कि "relief for distress" क्या है ।

तो खंड २ के उपखंड (५) की ओर मैं चाहूंगा कि आप भी इसको पढ़ लें । मित्थल साहब से भी प्रार्थना करूंगा कि वे भी इसको पढ़ लें । इसमें यह दिया हुआ है "*Purpose for which the fund may be utilised.* The funds shall not be expended except upon the relief of famine.

(2) The relief of distress of a serious nature arising from drought, flood or other natural clamaties."

यानी अगर बाढ़ से मकान गिर जाते हैं तो यह भी फ्लड में आता है । ऐसी डिस्ट्रेस में ऋण दिया जा सकता है ।

जहां तक उद्देश्य और कारणों का संबंध है, इसकी दूसरी लाइन में दिया हुआ है कि "प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम द्वारा कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास, मुर्गी पालन, बाढ़ द्वारा बह गये या क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण या मरम्मत आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिये ऋण, अग्रिम तथा अनुदान के रूप में पर्याप्त धनराशियां दी जाती हैं ।" तो, श्रीमन्, उद्देश्य और कारणों में यह साफ दिया हुआ है कि बाढ़ द्वारा बह गये या क्षतिग्रस्त मकान जो बह जाते हैं .... तो इसमें यह लिखा हुआ है कि कम से कम ५० लाख रुपया हमें आप वित्तीय सहायता देंगे ग्रान्ट नं० ४० के अन्तर्गत । उसी से हम खर्च भी

करते हैं तो सवाल यह होता है कि जब वित्तीय सहायता ग्रान्ट के रूप में आप हमें देते हैं और गवर्नर की कोई सिफारिश नहीं होती है.....

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कमलासिंह यादव--

मैंने मंत्री जी का ध्यान दिलाया कि उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है कि बाढ़ के जरिये मकान ध्वस्त हो गया तो उसके लिये फ्लड रिलीफ ऐक्ट, ३६ के मातहत रुपया दिया, तो वह कंसालिडेटेड फंड से आयेगा और अगर कंसालिडेटेड फंड से आयेगा तो गवर्नर की सिफारिश के बगैर यह कानून पास नहीं किया जा सकता ।

इस विधेयक को पढ़ने से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । नाम कितना सुन्दर है । हर चमकती हुई चीज को माननीय मंत्री जी यह समझाने का यत्न कर रहे हैं कि वह सोना होती है । लोक धन के नाम पर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि इस विधेयक को पास कर दिया जाय । लोक धन तो किसी से वसूल नहीं किया जा सकता, इकट्ठा किया जाता है । तीन अंग होते हैं एक्सपेंडीचर के । एक तो ऋण के रूप में पब्लिक को रुपया दिया जाता है । दूसरे एडवांस के रूप में और तीसरे अनुदान के रूप में रुपया दिया जाता है । एडवांस के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह ऋण है और ड्यूज के तरीके पर है । जिस काम के लिये दिया जाता है वह पूरा किया जाय । अनुदान जो है वह दान के रूप में दिया जाता है । उसमें कंडीशन होती है जैसे ४ हजार लोन के रूप में दे रहे हैं तो २ हजार ग्रान्ट के रूप में देते हैं । ग्रान्ट के रूप में जो रुपया दिया जाता है वह ऐसा होता है जो वापस नहीं लिया जा सकता । लेकिन, श्रीमन्, मैं डिसटिंगुइश करना चाहता हूं और आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अनुदान का रुपया लोन नहीं है । जिस कंडीशन के लिये या जिस प्रयोजन के लिये रुपया दिया है और जिसके लिये उपबंध लिखा है अगर उसकी ब्रीच हो जाती है तो जो रुपया ग्रांट के रूप में दिया था वह भी ऋण हो जाता है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने जो इस बिल को मिसनोमर किया है गलत नाम दिया है, वह उचित नहीं है । आपको इसका नाम लोक ऋण रखना था क्योंकि जब तक आप ऋण के रूप में नहीं देते हैं तब तक आपको वसूल करने का हक नहीं होता है । मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अनुदान जिस काम के लिये दिया जाय अगर वह पूरा नहीं होता है उस समय आपकी ड्यूटी होती है कि उसको वसूल करें क्योंकि उस समय वह अनुदान के रूप में नहीं रह जाता है और वह लोन के रूप में बदल जाता है । मैं इस तरह से डिसटिंगुइश कर रहा हूं कि जिस रूप में इसका नाम लोक धन रखा है अगर इसमें ग्रांट न आई होती तब तो मुझे कोई ऐतराज न होता । शौक से लोक धन नाम रखते । लेकिन इस समय नहीं रखा जा सकता है । अनुदान जिस कार्य के लिये देंगे अगर वह उस कार्य को पूरा नहीं करता है तो उस समय वह अनुदान नहीं रह सकता है । इसके लिये सरकार की ड्यूटी हो जाती है कि जिस प्रयोजन के लिये धन दिया गया है अगर वह उस प्रयोजन में न लाया जाय तो उसको वापस कराये और वापस उसी समय होगा जब लोन की शक्ल में देंगे । इसलिये इस बिल का जो नाम रखा गया वह गलत है । इसका नाम लोक ऋण रखना चाहिये था, जैसी कि अन्य विधेयकों में यह चीज है । लेकिन मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा ।

दूसरी चीज यह है, श्रीमन्, कि एक चीज हमारे लिये सोचने की है कि जहां तक खंड २ (५) का सवाल है आप किसी व्यवसाय के लिये रुपया देते हैं या उद्योगीकरण के लिये रूपया देते हैं, उसके वसूल करने में कोई चीज नहीं कही जा सकती है । यह निर्विवाद है कि उसको

[श्री कमलासिंह यादव]

वसूल करें। हमें एक आपत्ति है कि विपत्ति में कोई सहायता देते हैं उसको वसूल करना चाहते हैं। यह चीज मेरी समझ में नहीं आई। मैंने देखा है कि फ्लड वगैरा में जब मकान ध्वस्त हो जाते हैं तो सरकार इतना रुपया नहीं देती है जिससे लोग अपने मकान बना सकें। यहां पर शब्द लिखे हैं कि विपत्ति में सहायता के लिये। अगर तकावी का नाम होता या ऋण के रूप में होता और यह कहा जाता कि हम जो सहायता देते हैं उसको वापस लेंगे तब तो ठीक था। लेकिन आप केवल ५०–१०० रुपये मकान बनाने के लिये सहायता देते हैं और इसको वसूल करना चाहते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती। जैसे हाउसिंग कमेटी में होता है, पक्का मकान बनाने के लिये रुपया देते हैं वह तो ऋण देते हैं लेकिन यहां पर तो आप थोड़ी सी सहायता दे रहे हैं। हाउसिंग कमेटी के लिये जैसे कहा जाता है कि मकान बनाने के लिये ऋण देते हैं एडवांस देते हैं और अनुदान देते हैं। अगर ये तीनों साथ-साथ रहें तब तो उनकी बात की गुंजाइश है। लेकिन इसमें साफ लिखा है कि विपत्ति के समय सहायता के लिये, तो यह एक तरह से रिलीफ होता है यानी ग्रांट के रूप में होता है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई भूखा मर रहा है उसको दस रुपये दे दें तो फिर वसूल करने का क्या सवाल है क्योंकि वह तो दान है, रिलीफ है ?

श्री अधिष्ठाता––

इस पर दो घंटे का समय है, इसलिये बोलने में इस पर ध्यान रखें।

श्री कमलासिंह यादव––

जो बाद वाला है उसमें मैं कम समय लूंगा, इसमें अभी मुझे बोलने दीजिये। मैं तो चाहता हूं कि आप दूसरे वाले के लिये २ घंटे से समय कम कर दें।

श्री अधिष्ठाता––

मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, आप बोलिये लेकिन समय का ध्यान रखिये।

(व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव––

तो यह मैं कह रहा हूं इस चीज को देखते हुये कि बात यह है कि जब हंसी-मजाक सदन में हो तो यह ठीक नहीं है। सदन में जब मिनिस्टर्स ही ऐसा करते हैं जिससे मालूम होता है कि वह अपोजीशन की बात सुनना नहीं चाहते हैं। मुझे अफसोस होता है उनके इस रवैये पर। यह दो चीजें हैं, मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी अब सुनना नहीं चाहते हैं। जो सरकार की कारगुजारी है, उसकी कथनी करनी में जो अन्तर है, इसलिये इस बिल को घुमाया जाये जिससे जनता को दिग्दर्शन हो जाये। इसमें जो ऋण की बात है उसके बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है कि वह वसूल नहीं होना चाहिये और ऋण के संबंध में जो एडवांस लेते हैं वह भी वसूल होना चाहिये लेकिन जो ग्रान्ट है उसको वसूल नहीं किया जाना चाहिये। उसको वसूल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से जो आप रिलीफ देते हैं जो उसको डिस्ट्रेस के समय में देते हैं उसे वसूल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उसमें कंडोनेंस प्रीसीडेंट कोई नहीं है। २०७ (३) में गवर्नर की रिकमेन्डेशन नहीं है इसलिये यह बिल पास ही नहीं हो सकता है और यह क्लियर २०७(३) का केस है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और इन चीजों की वजह से यह एक काला कानून हो जायगा और जब यह हाई कोर्ट के समक्ष जायगा तो अवश्य ही रद्द हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को इस सदन के सम्मुख रखता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया

जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन एक मास में प्रस्तुत कर दे ।

श्रीमन् इस प्रस्ताव को रखने में मेरा कोई यह अर्थ नहीं है कि यह जो बिल मंत्री महोदय ले आये हैं वह ठीक नहीं है। बिल के अन्दर जो भावनाएं हैं और जिसके लिये यह लाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन जैसा कि अनेक बार होता है, कभी असावधानी के कारण या अन्य प्रकार से कमियां रह जाती है उनको दूर करने के लिये यह व्यवस्था है कि यदि विभिन्न राय के कई लोग एक साथ बैठकर विचार करते हैं तो उनकी अधिकतर कमियां दूर हो जाती हैं । यों तो माननीय मंत्री महोदय खूब सोच समझ कर चीज सामने लाते हैं और उनके सेक्रेटरीज भी उन पर अच्छी तरह विचार कर लेते हैं, फिर भी उनमें कुछ कमी की सम्भावना हो सकती है। इसलिये यदि एक या दो आदमियों की राय में अन्य विभिन्न रायों का समावेश हो जाता है तो उस पर ज्यादा कम्पलीट और पूर्ण अधिनियम बन जाया करता है । इस प्रकार यदि आप, श्रीमन्, देखें इसमें केवल ३ प्रकार के जो ऋण हैं उनके बारे में कहा गया है । एक तो फाइनेन्शियल कारपोरेशन है, जिसके द्वारा ऋण दिया जाता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऋण और तीसरा स्टेट गवर्नमेंट के अन्य प्रकार के एग्रीमेंट के ऋण हैं, उनके ऋण के बारे में है । केवल इन ३ प्रकार के ऋणों के बारे में यह बिल प्रभावी हो, इतना पर्याप्त नहीं । मैं समझता हूं यह बिल उनके लिये भी प्रभावी होना चाहिये जहां जहां किसी भी प्रकार का सार्वजनिक धन ऋण आदि में दिया जाता है और ऐसे भी संस्थान जैसे लोकल बाडीज हैं जिनके धन भी सार्वजनिक धन हैं उनका भी समावेश करने के लिये अगर व्यवस्था हो सके तो यह और भी व्यापक बिल हो सकता है । जितने भी पब्लिक धन हैं उनकी वसूली का स्कोप इसमें बढ़ाया जा सकता है । इसी प्रकार किन शर्तों में यह ऋण वसूल किया जायगा वह भी तीन ही दिये गये हैं, एक तो यह कि काम पूरा न हो, दूसरे यह कि जो किश्त देने में विलम्ब करें और अन्य कारण । तो इनके अलावा वह भी हो सकते हैं जो बाहर चले गये हों और ऋण न अदा कर पायें हों या और भी सम्भावनायें हो सकती है जो मेरे अन्दाज में नहीं आतीं हैं उन सब का समावेश इसमें हो जाय तो अच्छा है । इस अच्छे बिल के पास होने में जल्दी होनी चाहिये लेकिन खामी न रह जाय इसलिये इस को प्रवर समिति में भेजा जाय, यह मेरा निवेदन है ।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो बिल प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं .....

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह तो सभी जानते हैं । आप जब कांग्रेस में गये हैं तो आप समर्थन करेंगे ही, यह हम सब जानते हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह—

जी नहीं, आप नहीं जानते कि मैं क्यों इसका समर्थन करता हूं । माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि जो रुपया अनुदान या दूसरे शकल में दिया जायगा, बाढ़, ओला, पाला और न जाने किस किस चीज का जिसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं. उन सबका जिक्र आपने किया । वे एक अच्छे वकील हैं, कैसे वे यह सब कह गये यह मेरी समझ में नहीं आया । अन्त में आकर उन्होंने कह दिया कि जो रिलीफ दी जाती है नेचुरल कलेमेटीज के वक्त उसको किस शक्ल में वसूल किया जायगा । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा रुपया जो सहायता के रूप में दिया गया है सरकार द्वारा वसूल किया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमलासिंह यादव—

यही मंत्री जी से कह दीजिये वे मान लें ।

श्री कल्पनाथसिंह—

आप सुनिये । जो रुपया खैरात की शक्ल में दिया जाता है उसकी वसूली का सवाल नहीं पैदा होता । माननीय रक्षपाल सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल के बारे में सही स्पिरिट दिखाई, महज विरोध के लिये विरोध उन्होंने नहीं किया । मैं समझता हूं कि इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य कमलासिंह जी के विचारों का, यहां तक कि माननीय काशीनाथ जी भी उसका विरोध अवश्य करेंगे ।

एक बात अवश्य कहना चाहता हूं । इसमें जो उद्देश्य और कारणों में लिखा गया है कि यह लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के लिये जो ऋण दिया गया है इसकी वसूली राजस्व की शक्ल में की जायगी । मेरा निवेदन है कि जिला स्तर पर या डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के यहां से जो ऋण दिये जाते हैं उनके लिये यह कहा जाता है कि वह रुपया जिन कामों के लिये दिया जाता है उनके लिये नहीं लगाया जाता । उसके लिये यह दिक्कत पैदा होती होगी कि जिला कलेक्टरों या दूसरे लोगों को वह जो ऋण है वह उसकी किस प्रकार उगाही करें क्योंकि जहां तक जमानतदार या परसनल बांड का सवाल है उसको भी मालगुजारी की शक्ल में वसूल कर लेने में हमारा खयाल है दिक्कत होगी । इसलिये अगर इस बिल में इसका भी समावेश हो गया होता तो शायद इससे दूने मनोबल से हम इस बिल का समर्थन करने के लिये तैयार होते । और मेरा खयाल है कि शायद जल्द से जल्द रेविन्यू विभाग इस बिल में अगर आवश्यकता होगी तो अन्य दूसरी मदों को भी समावेश करने की कोशिश करेगा । इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्रीजी के बिल का समर्थन करता हूं ।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस विधेयक को जनमत के लिये घुमाने का सवाल है इसके लिये तो वही प्रस्ताव दे सकता है जो जनमत से दूर हो । जनमत से दूर रहनेवाला और जनमत की भावनाओं से अलग रहने वाला दिमाग ही जनमत के घुमाने की बात आज कोई उत्तर प्रदेश में विरोध कर सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनमत आज यह है कि कितना रुपया लोगों पर सरकार का बाकी है और जो कुटीर उद्योग के लिये रुपया लेकर बैठ गये हैं और उद्योग नहीं चला रहे हैं उनको वसूल किया जाय । इसी सदन में रोज सोशलिस्ट पार्टी विरोधी होने केनाते कहती है कि सरकार उस रुपये को वसूल करे जो लेकर खा गये हैं । आज इस उत्तर प्रदेश में दो ताकतें हैं । मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि अब कोई पार्टी उत्तर प्रदेश या देश में नहीं रह गई है और राजनैतिक पार्टियों का गठन खत्म हो गया है । अब तो केवल पार्टी के नाम पर दो ताकतें ही काम कर रही हैं । एक ताकत तो वह है जो यह कहती है कि "सरकार चलाओ" और "माल उड़ाओ" और एक दूसरी पार्टी है जिसमें हम लोग आते हैं वह कहते हैं कि 'सरकार हटाओ और देश को बचाओ" । इसलिये इस पालिसी को लेकर कि 'सरकार चलाओ और माल उड़ाओ" तो सरकार का जितना भी रुपया बाकी है और जो लोग रुपया लेकर खा गये हैं और कुटीर उद्योग में नहीं लगा पाये हैं उनसे उस रुपये को वसूल किया जाय । वह रुपया उनसे जरूर वसूल होना चाहिये, क्योंकि उसको खाकर वह हजम कर गये हैं । कुटीर उद्योग में उस रुपये को उन्होंने नहीं लगाया है, उसको बड़ी सख्ती के साथ वसूल किया जाय तो तब जाकर सरकार को चलाओ और माल उड़ाओ की पालिसी अच्छी तरह से सफल होगी । इसी बात को देखकर हमारी पार्टी अपने आन्दोलन को तीव्र करेगी कि सरकार को हटाओ और इस देश को बचाओ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री हुकुमसिंह विसेन---

जो मुझे कहना था वह काशीनाथ जी मिश्र ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है और मैं समझता हूं कि इसका असर भाई कमलासिंह जी पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। कमलासिंह जी ने कहा कि यह मनी बिल है। अध्यक्ष महोदय इसका फैसला कर चुके हैं। अब उस बात को यहां पर रि-ओपिन करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। दूसरी दिक्कत यह है कि बहुत सी बातें कमलासिंह जी ने इस संशोधन के संबंध में कही कि मनी बिल पर वक्त रहता है। आप उसको समझे नहीं हैं, यह मैं कैसे कहूं? लेकिन जब आपके साथी नहीं समझे तो आप कहां तक उसको समझे होंगे यह आप समझ लें। एक दिक्कत यह भी है कि इस सदन ने यह निश्चय ले लिया है कि यह बिल २ बजे तक पास हो जायगा। मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वह मुझे इतनी तम्बीह देते हैं कि मैं उसका उल्लंघन करूं तो मैं उस तम्बीह में नहीं आ सकता। जनमत जानने के विषय में भाई काशीनाथ जी ने जवाब दे दिया है, मैं उन शब्दों में नहीं कह सकता। यह १ घंटे में पास होने वाला बिल २ महीने कैसे रुक सकता है और तब तक रिपोर्ट का कौन इन्तजार कर सकता है? इसके प्रिन्सिपुल का उन्होंने समर्थन किया और बिल की तारीफ की। जो इधर उधर की बात उन्होंने कही उनका जवाब देने की कोशिश करना बेकार है। तो मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन मेरा प्रस्ताव पास करेगा। यह तो मैं कैसे कहूं कि वह इसको वापस लें, क्योंकि यदि भगवान ही सद्बुद्धि देगा तभी वह वापस लेंगे?

श्री कमलासिंह यादव--

मुझे दो एक बात कहनी हैं।

श्री अधिष्ठाता---

वोटिंग तो अब इस पर दो बजे तक नहीं होगी। आप कहिये।

*श्री कमलासिंह यादव---

मैं उस हद तक नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल दो एक बातें कहना चाहता हूं। मैंने यह बतलाया कि २०७(३) में यह दिया हुआ है कि "A bill shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the bill." तो यह बिल बिना रेंकमेंडशन के नहीं लाया जा सकता। इसका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात श्री काशीनाथ जी ने बहुत जोर से कही कि जितने ऐसे ऋण हैं वह सब की वसूली कर लेंगे। मुझे इसमें एतराज नहीं था। मैंने तो सफाई इसलिये की थी कि इसमें जो डिस्ट्रेस में आप रिलीफ देते हैं, उसे भी वसूल करना तो इसमें उचित न होगा। अब इसके बारे में भी अगर समाजवादी पार्टी का यही मत है कि इसके अन्तर्गत डिस्ट्रेस रिलीफ भी वसूल की जाय तो मैं उस पार्टी का मेम्बर अपने को घोषित नहीं करता। मैं तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य हूं और उसकी खुली हुई नीति है कि डिस्ट्रेस रिलीफ की आप को वसूली नहीं करनी चाहिये।

कल्पनाथ सिंह जी ने जो बात कही उस के लिये मैं नहीं कह सकता कि आप ने इसको पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन अगर आप यू० पी० रिकवरीज आफ गवर्नमेंट ड्यूज, १९५६, को देख लिये होते तो शायद आपको यह बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यही चन्द बात हैं जिनके लिये मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अगर आप विकास के लिये, उद्योग के लिये, ऋण दिये हों और उसके उपयोग में न आने पर इस तरह से वसूल करें तो मुझे एतराज नहीं है। वह तो वसूल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]
होना चाहिये । जो कानून का दायरा है उसमें डिस्ट्रेस के रुपये के भी वसूल होने की बात आ जाती है और इसकी वजह से माननीय मंत्री जी के हाथ कट गये हैं और यह कंसालिडेटेड फंड के अन्दर आ जाता है । यही चन्द बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं ।

(श्री नरसिंहनारायण पांडेय के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अब तो कुछ नहीं । भाषण नहीं होंगें । माननीय रक्षपाल जी, आपको जवाब देना है ।

श्री रक्षपालसिंह--

जी नहीं।

श्री कमलासिंह यादव--

अब खंडों को आप ले लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

वह तो उस समय तक नहीं लिये जा सकते जब तक कि यह विचार के लिये वाला प्रस्ताव पारित न हो जाय ।

एक सदस्य--

तब तक के लिये सदन को स्थगित कर दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

खंड मैं ले नहीं सकता ।

अगर सदन की मर्जी हो तो दूसरा बिल पेश कर दिया जाय ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

हां, दूसरा विधेयक पेश हो जाने दीजिये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

दोनों बिल एक साथ कैसे चलेंगे ? किस नियमावली के हिसाब से आप यह करायेंगे ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अधिष्ठाता--

इसे स्थगित करके दूसरा विधेयक ले लिया जाय.....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

किस नियम के अन्तर्गत आप यह कर रहें हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, जो एडवाइजरी कमेटी है जिसके माननीय कमलासिंह जी भी मेम्बर है, उसने दोनों बिलों के लिये एक समय नियत कर दिया है । उस समय के अन्दर ही इन बिलों को पास करना है । अब इस बीच में एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है । तो मेरा निवेदन यह है कि दोनों बिलों पर बहस हो जाय, दूसरा बिल आप ले लें, फिर बाद को दोनों पर वोटिंग करा लें ।

श्री कमलासिंह यादव--

अभी माननीय माल मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि कार्य मंत्रणा समिति ने यह निश्चय किया है कि दो घंटे में इस विधेयक को पारित किया जाय। अब बीच में इसे स्थगित करके दूसरा विधेयक नहीं आ सकता है। जब उप नेता सदन ने यह कहा है कि उस समिति के निर्णय का पालन करना है तो आप इसे स्थगित करके दूसरा विधेयक नहीं ला सकते।

श्री अधिष्ठाता--

कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय तो यह है कि इस विधेयक पर दो घंटे का समय दिया जाय, वह समय तो उतना ही दिया जा सकता है। इस समय स्थगित करके दूसरा विधेयक ले लिया जाय, जो समय इसमें बचेगा, वह बाद में दे दिया जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

जी नहीं, दो घंटे के मानी यह हैं कि लगातार दो घंटे तक इस पर विचार हो। दोनों बिल साथ साथ नहीं चल सकते।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

दूसरे बिल को कम समय में हम पास कर देंगे, इस पर कुछ ज्यादा समय दे दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

तो दूसरा बिल आप लेना चाहते हैं.....

श्री कमलासिंह यादव--

इस बिल को समाप्त करने के बाद ही आप दूसरा बिल ला सकते हैं।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

इसे स्थगित करके आप दूसरा बिल कैसे ला सकते हैं ?

श्री राममूर्ति--

अधिष्ठाता महोदय, यह कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता कि जब एक बिल चल रहा है तो उसे स्थगित करके दुसरा बिल ले लिया जाय। पता नहीं बाद में क्या लीगल काम्प्लीकेशन्स इसके पैदा हों ? इस लिये आधा घंटे के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय; २ से ५ बजे तक काफी समय होगा, उस समय में यह दोनों विधेयक पास हो सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैंने एक प्रार्थना की थी और कहा था कि माननीय मंत्री जी उस घोषणा को वापस ले लें जो कि कार्य मंत्रणा समिति ने निश्चित किया है। वह कह दें कि हम उसको वापस लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

उस घोषणा का अर्थ यह है कि दो घंटे दिये जायेंगे। जहां तक घोषणा को वापस लेने का प्रश्न है, अगर कोई माननीय सदस्य सदन में कोई बात कहता है, जब तक वह असंसदीय न हो, उसके वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैंने सिर्फ एक सजेशन दिया कि दोनों बिलों के लिये समय का जहां तक प्रश्न है, आप ऐसा कर लें कि पहले बिल पर ज्यादा समय देदें और दूसरे पर कम समय दे देंगे। इस पर

[श्री कमलासिंह यादव]

माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि कार्य-मंत्रणा समिति ने जो निश्चय किया है उससे पीछे वे नहीं जायेंगे और अभी एक मिनट देर नहीं हुई, सरकार की हुलिया तबाह हो गयी ।

श्री अधिष्ठाता--

देखिये ऊदल जी, अब मैं २ बजे तक लिये सदन को स्थगित किये देता हूं ।

(इस समय १ बज कर २७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कार्य-मंत्रणा समिति ने इस बिल के लिये दो घंटा नियत किया था और इसके बाद सदन ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था । सदन के प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद यह बिल ले लिया गया लेकिन दो घंटे में यह बिल समाप्त नहीं हुआ । केवल मेरी गुजारिश यह है कि चूंकि सदन का प्रस्ताव था दो घंटे का और उसके अनुरूप कार्य नहीं हो सका तो मैं यह चाहता हूं कि आप फिर सदन की आज्ञा ले लें इस बिल के पास करने में समय के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

इन दोनों बिलों के लिय दो घंटे हैं । एक घंटा बहस हो चुकी है । बाकी काम भी बचा है । इसमें दिक्कत क्या है आपको ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मुझे न दिक्कत है और न मैं बिल के खिलाफ हूं । केवल बात यही है कि कहीं नियमों विपरीत कार्य न हो रहा हो । बीच में व्यवधान पड़ जाने के कारण वह कार्य नहीं हुआ . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

कोई दिक्कत नहीं हो रही है । दो घंटे हैं, और कोई कार्य नहीं होगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, दोनों बिल पेश करने हैं । दूसरे में अमेन्डमेन्ट्स ज्यादा हैं । इसलिये एक घंटा और एड्ड कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें एक घंटा अभी बाकी है, एक घंटा हो चुका है ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं यह नहीं कह रहा हूं । एक घंटा काटकर तीन घंटे कर दें । इसमें अमेन्डमेन्ट्स ज्यादा हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

इससे, श्रीमन्, हम सदन प्रस्ताव के अनुरूप कार्य करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

हाउस, का यह रेजोल्यूशन है । उसके खिलाफ आप कैसे करेंगे ?

श्री कमलासिंह यादव--

शुरु से ही दो घंटे माने जावेंगे । श्रीमन्, आप एडजोर्न तो कर नहीं सकते । हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं । दूसरे बिल को दो घंटा दे दिया जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

फिर आप कहेंगे कि दो घंटे उसमें नहीं मिले ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, नियम वगैरह की बात नहीं है, समझने की बात है । एक ही अमेन्डमेन्ट में बात हो जावेगा तो सदन पहिले ही उठ जावेगा । जब खत्म हो जावेगा तो हम चले जावेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो तय हो गया उसके खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५, को जनमत संग्रह के लिये एक मास तक परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

परिभाषायें २—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "निगम" का तात्पर्य स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ऐक्ट, १९५१ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से है ;

(ख) "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य किसी ऐसी वित्तीय सहायता से है जो—

(१) किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना अथवा विस्तार करने अथवा उसे चलाने के लिये; या

(२) व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये; या

(३) पशु-पालन का विकास करने के लिये; या

(४) किसी अन्य प्रकार के योजनाबद्ध विकास के लिये; या

(५) विपत्ति में सहायता के लिये,
दी गई हो,

(ग) "औद्योगिक संस्था" का वही तात्पर्य होगा जो समय-समय पर यथा संशोधित स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९५१ में पद "Industrial Concern" के लिये दिया गया हो;

(घ) "औद्योगिक उपक्रम" के अन्तर्गत कोई ऐसा उपक्रम भी है जो माल के निर्माण, संरक्षण अथवा प्रक्रिया या खनन अथवा होटल उद्योग या यात्रियों अथवा माल के परिवहन या विद्युत अथवा किसी अन्य प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण के लिये, अथवा औद्योगिक आस्थान के रूप में किसी आसन्नवर्ती क्षेत्र की भूमि का विकास करने के लिये हों :

[स्पष्टीकरण—पद "माल की प्रक्रिया करना" के अन्तर्गत किसी पदार्थ पर शारीरिक, यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत या उसी प्रकार की कोई अन्य क्रिया करके किसी वस्तु को उत्पादित करने, तैयार करने अथवा बनाने के निमित्त कोई कला या प्रक्रिया भी है;]

(ङ) "राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) के भाग (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अथवा" निकाल दिया जाय।

विधेयक में ये शब्द हैं कि "किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना अथवा विस्तार करने अथवा उसे चलाने के लिये" । जहां तक स्थापना का सवाल है, उसके बाद ही उसका विस्तार हो सकता है, वह चलाया जायगा । इंग्लिश ट्रांसलेशन में यह होगा कि फार इस्टेब्लिशिंग, एक्सपैंडिंग आर-रनिंग एनी इंडस्ट्रियल अन्डरटेकिंग । दो आल्टरनेटिव उसके लिये हैं, विस्तार किया और चलाया जाय । यह शाब्दिक चीज है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात तो बहुत सीधी-सादी कही है लेकिन अगर हम "अथवा" निकाल दें तो गड़बड़ पड़ जायगी । पढ़ने में कोई रुकावट नहीं पड़ती है, बड़ा अच्छा फ्लो है । मैं इसे अपोज करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं सदन की इन्टेन्शन जाहिर कर रहा था । परन्तु शर्त हमारी है कि माननीय मंत्रीजी को उस समय इस्तीफा देना चाहिये जब कि उनके सचिव महोदय इस पर संशोधन ले आवें । इस शर्त पर हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यह बिल अंग्रेजी में बना है । उसका उल्था हिन्दी में हुआ । अंग्रेजी में वाक्यों का जो संयोजन है उसी के अनुरूप हिन्दी में होना चाहिये । इसलिये इस संशोधन से कोई अर्थहीनता नहीं आती है । मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी फिर से विचार कर लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) के भाग (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अथवा" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ के उप खण्ड (ख) के भाग (५) को निकाल दिया जाय। इसके बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूं कि यही एक आइटम ऐसा है जो कंसालिडेटेड फंड से खर्च को दिखा रहा है। उसूल का भी सवाल है। अगर आप किसी आदमी को सहायता देते हैं तो वह रिलीफ है, ग्रान्ट नहीं है। इन दोनों में बहुत अन्तर है। रिलीफ में कोई शर्त नहीं होती, ग्रान्ट देने में कंडीशन होती है। जब उस कंडीशन को यह फुलफिल नहीं करता है तो ग्रान्ट लोन का रूप धारण कर लेती है। जिसे आप रिलीफ देते है उसकी हालत को देख कर देते हैं। जब एक बार आपने वे सर्कम्स्टांसेज जिनमें रिलीफ देना आवश्यक है, देख लिये तो आप उससे उसे वसूल नहीं कर सकते। अब एक बात और कहना चाहता हूं। ऐग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट आपने पास किया १९३४ में। उसमें यह दिया है—

"Agriculture Calamity means with reference to a particular debtor, a calamity other than a slump in prices on account of which—

If the debtor is a revenue paying landlord or an under proprietor in Oudh holding a sub-settlement, there has been a suspension or remission of the revenue of any of his holdings;"

फिर नीचे नोट में दिया है—

"*Agricultural Calamity*—This phrase has been used in section 6 only and as such this definition is applicable to that section alone. The chief criterion to determine agricultural calamity with reference to any particular debtor is that there should be a suspension or remission of revenue or rent of any of his holdings otherwise than due to a slump in prices."

तो इस तरह से आप देखें कि रेवेन्यू का भी सस्पेंशन या रेमिशन तब होता है जब बहुत बड़ी आपत्ति आती है जैसे ओले पड़ जाते हैं या बाढ़ आ जाती है, तो रेमिशन होता है। तो उस रेमिशन की भी वसूली इसके अन्दर आ जाय यह तो बड़ी गलत चीज होगी। सस्पेंशन दूसरी चीज होती है। सस्पेंशन थोड़े दिन के लिये होता है। बाद में आप उसे वसूल कर सकते हैं। लेकिन रेमिशन कर दिया तो उसकी वसूली बाद में करना ठीक नहीं होगा। ग्रान्ट या अनुदान भी दूसरी चीज है। यह भी आप वापस तभी ले सकते है जबकि वह लोन का रूप ले लेगा। लेकिन रिलीफ या रेमिशन जो है वह तो बिलकुल ही आप नहीं ले सकते क्योंकि उसके देने के लिये कुछ प्रीकंडीशन्स होती हैं। एक बार दे देने के बाद फिर वह वापस नहीं ले सकते। यहां सदन की तरह की बात नहीं है कि अभी आपने कुछ कहा और फिर बदल गये। तो इस क्लाज को निकाल देने से यह कानूनी अड़चन जो है वह दूर हो जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघपालसिंह—

श्रीमन्, मैं माननीय कमला सिंह जी का जो प्रस्ताव है इसका समर्थन करता हूं। अगर यह हो कि विपत्ति में सहायता जो दी जाती है उसको डिफरेंशियेट कर दिया जाय और डिफाइन कर दिया जाय तब तो कोई बात नहीं है। जैसे कहीं आग लग गई और उसके लिये ५०० रुपये की सहायता आपने दी तो वह विपत्ति में सहायता है या बाढ़ आ गई और दो सौ रुपये की सहायता दे दी तो वह भी उसी प्रकार की सहायता हो गई। लेकिन कभी-कभी जो साधारण सहायता दी जाती है मकान आदि बनवाने के लिये ऋण या तकावी के रूप में, अगर मंत्री जी का मतलब उससे है और वह उस तरह से जीविका हेतु दी जाने वाली सहायता से भिन्न है तो यह ठीक है। मगर फिर भी यह साफ हो जाना चाहिये। अगर इस क्लाज में वह रिलीफ भी आ जाती है तब तो इसे बिलकुल हटा देना चाहिये।

*श्री हुकुमसिंह बिसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ गलतफहमी है इस पर। मैं एक मिसाल पेश करता हूं कि संकटकाल में नान-एग्रीकल्चरिस्ट्स को भी हम मकान आदि बनाने के लिये रुपया देते हैं, लेकिन अगर वह उस रुपये से मकान न बनावें तो हम क्या करें? जैसे इंडस्ट्री के लिये अनुदान हमने दिया, अब वह इंडस्ट्री न लगाये तो बताइए हम वसूल न करें? जब उसका अनुदान आया था, उस पर बहस हो रही थी तो यही बात कही जा रही थी कि लाखों रुपया लोगों ने ले रखा है, सरकार कुछ करती नहीं, उसे वसूल नहीं करती है। तो उनसे हम कैसे वसूल करें? अनुदान जिस परपज के लिये हम देते हैं उसके लिये इस्तेमाल न किया जाय तो उसे वापस लेने का अधिकार होना चाहिये। जहां तक सहायता या रेमिशन का सवाल है रेमिशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो उनको जो देंगे, अनुदान ग्रान्ट या कर्ज के रूप में और उस परपज में इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अमीनाबाद में जाकर स्वीटर खरीदते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अगर उस परपज के लिये वह इस्तेमाल कर ले, तब तो नहीं लेंगे?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

तब नहीं लेंगे। इसलिये ऐसी सूरत में यह क्लाज रखना बहुत जरूरी है। मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उप खण्ड (ख) के भाग (५) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ के उप खण्ड (ख) के भाग (५) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय—

"स्पष्टीकरण—ऐसी वित्तीय सहायता जो अग्रिम धन तथा अनुदान के रूप में किसी प्रयोजनार्थ दिया गया हो और यदि उसकी पूर्ति न की गई हो तो इस विधेयक के प्रयोजनों के लिये वह सार्वजनिक ऋण समझा जायगा।"

यह स्पष्टीकरण इसलिये दिया जा रहा है कि जहां तक ग्रान्ट का संबंध है या ऐडवान्स वगैरह किसी परपज के लिये देते हैं, तो लोन के बारे में तो कुछ प्रिकंडीशन्स होती हैं, जो बांड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में लिखी रहती है, तो लोन जिस परपज के लिये लिया गया उसकी अगर पूर्ति न हो तो वसूल हो जायगा। लेकिन जहां तक एडवांस का सवाल है, ऐडवान्स लोन अगर होगा, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐडवान्स वैसे ही पहले रुपया दे दिया गया तो उस वक्त चूंकि वह लोन के रूप में नहीं दिया, इसलिये उसमें दिक्कत होगी।

दूसरी चीज यह है कि ग्रान्ट किसी प्रयोजन के लिये देते हैं और जब वह प्रयोजन पूरा नहीं होता तो ग्रान्ट का रुपया वह नहीं रह जाता है, बल्कि लोन का रूप ले लेगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि ऐसी स्थिति में अगर किसी प्रयोजन के लिये रुपया आप ऐडवान्स करें और वह आदमी, जिस काम के लिये दिया गया है उसमें इस्तेमाल न करे, तो इस विधेयक के जरिये जो ग्रान्ट होगी या रिलीफ जो कुछ होगी वह लोन का रूप धारण कर लेगी और जब तक लोन का रूप धारण न करे, तब तक आप वसूल नहीं कर सकते। अगर दान के रूप में आप देते हैं, तो आप वसूल नहीं कर सकते। बगैर लोन का रूप धारण किये हुये आप रुपया वापस किसी से नहीं ले सकते। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह भ्रम है इसलिये यह विधेयक लाया गया। मेरी राय में यह दूसरा भ्रम है, जिसे हम पहले से ही दूर कर देना चाहते हैं। लोकधन आप वसूल नहीं कर सकते बल्कि लोक ऋण वसूल कर सकते हैं। सही चीज मैं सरकार के सामने रख रहा हूं आप मानें या न मानें।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि दो अलग-अलग शब्द हैं, उन दोनों शब्दों को जब मिला करके एक साथ सोचा जाता है, तो कन्फ्यूजन माननीय कमला सिंह को होना स्वाभाविक है। एक मान्यवर, यह होता है कि जब किसी पर विपत्ति आती है तो ग्रेट्यूटस रिलीफ दी जाती है, और डिस्ट्रेस तकावी दी जाती है। ग्रेट्यूट्स रिलीफ सरकार वसूल नहीं करती और डिस्ट्रेस तकावी का जहां तक सवाल है...

श्री कमलासिंह यादव—

यही आप मंत्री जी से कहला दें, तो हम मान लेंगे।

श्री रामायण राय—

परिभाषा में जो कुछ दिया गया है, उसमें डिस्ट्रेस शब्द इस्तेमाल दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि किसी विशेष विपत्ति में कोई आदमी फंस जाता है, उस समय ग्रेट्यूटस रिलीफ दी जाती है, जो वसूल नहीं होती है, लेकिन डिस्ट्रेस तकावी जो दी जाती है, और यदि उस व्यक्ति के कुछ समय बाद अच्छे दिन आ गये, उस समय अगर उसको वसूल करने के लिये सरकार प्राविधान कर रही है तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय कमला सिंह को क्यों कन्फ्यूजन हुआ है?

श्री कमलासिंह यादव—

आप तकावी शब्द जोड़वा दें और इन शब्दों को वापस करा दें, तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री रामायण राय—

मेरा कहना यह है कि ग्रेट्यूट्स रिलीफ अदेय धन है, इसलिये वह प्रश्न ही नहीं उठता। यह विधेयक केवल उन धनों के संबंध में लाया गया है, जिन्हें वसूल किया जा सके। उसके लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

अनिवार्य है कि उसमें और चीजों के साथ डिस्ट्रेस तकावी वसूल करना जरूरी हो जाता है, इसलिये यह प्राविजन है। माननीय कमला सिंह जी डिस्ट्रेस तकावी और ग्रेट्यूटस रिलीफ दोनों को कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

मैंने अपने भाषण में तकावी का नाम नहीं लिया है, आप क्यों उसका नाम ले रहे हैं?

श्री रामायण राय--

आप नाम लें या न लें लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह शंका आपके मन को आन्दोलित कर रही है, इसलिये पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस बिल में सहयोग प्रदान करें क्योंकि उनका दल बराबर कहता है कि ऐसे धन की वसूली होना चाहिये और जब सरकार व्यवस्था कर रही हैं, तो अनोखे तर्कों के द्वारा इसमें इस प्रकार के संशोधन लाना मैं समझता हूं कि अनावश्यक है।

*श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं माननीय कमलासिंह का ध्यान खण्ड ३ के उप खण्ड (ग) के दूसरे और तीसरे आइटम की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन दो आइटम से मामला बिलकुल साफ हो जाता है और जिस शक्ल में उन्होंने संशोधन रखा है, वह गलतफहमी पर बनी है, ऐसी सूरत में मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव--

जिस उप खंड का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है, वह व्यवसायिक प्रशिक्षण और पशु-पालन के लिये है। उसकी भाषा इस प्रकार है--

"वित्तीय सहायता का तात्पर्य किसी ऐसी वित्तीय सहायता से है, जो व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए या पशु पालन का विकास करने के लिए,"

तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने इसके बारे में दिया नहीं हम दूसरी बात कह रहे हैं मैं तकावी के बारे में नहीं कह रहा हूं। जैसा माननीय रामायण राय ने कहा, तकावी तो ऋण होता ही है, फर्क केवल इतना है कि वह थोड़ा किस्तों में वसूल होता है। शायद माननीय रामायण राय जी वाकिफ न हों क्योंकि यह किसानों से सम्बन्धित चीज है। मैं कह रहा हूं कि ग्रान्ट जो आप देते हैं उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उसको आप वापस नहीं ले सकते, जब ग्रान्ट देते हैं तो हमने यह रखा है कि जिस प्रयोजन के लिये रुपया दिया गया है जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि मकान बनाने के लिये दिया गया, अगर ग्रान्ट देते हैं तो जब तक कि वह लोन का रूप न ले ले तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। फर्ज कीजिये कि मकान के लिये या किसी काम के लिये सरकार दस हजार रुपया लोन देती है और २००० रुपया ग्रान्ट देती है। अब अगर मकान बना लिया तो वह उससे ग्रान्ट वसूल हीं करेंगे लेकिन लोन को वसूल कर लेंगे। आप उसको ग्रान्ट स्वीकार करेंगे और वह प्रयोजन जिसके लिये वह दिया है वह परपज पूरा न होगा तो यह अनुदान भी लोन का रूप धारण कर लेगा और उसी वक्त आप उसकी वसूली करेंगे। इसलिये जो लोन दिया वह तो अपनी जगह पर है लेकिन चूंकि ग्रान्ट को वापस करने या वसूल करने का अधिकार नहीं है इसलिये मैं यह कह रहा हूं और वह तभी हो सकता है जब कि वह परपज पूरा नहीं करता और जब कि वह लोन हो जाता है और आप को पावर होगी कि आप लोन और ग्रान्ट दोनों को वसूल कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जब यह ग्रान्ट दी जाती है तो उनके देने की कुछ कंडीशन्स होती हैं, अगर कोई उनका पालन नहीं करता तो उससे वह वसूल हो जायगा। उन शरायत के विपरीत कोई वसूलयाबी हम न करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

यह तो श्रीमन्, बड़ी चालाकी की बात मंत्री जी कह रहे हैं। बिल में खुद ही लिखा है कि पहले ही बान्ड और सीक्योरिटी सब कुछ हो जायगा, उसमें जो कन्डीशन्स हैं उनका एगजिक्यूशन हो जायगा, वह एगजिक्यूटर के लिये ही है। उसमें दिया है कि इस सम्बन्ध में किसी विधिक व्यवस्था के न होने से ऐसी शर्त के बन्धनकारी स्वरूप के विषय में सन्देह प्रकट किया गया है। अतएव, सरकारी धनराशि की वसूली सुरक्षित करने के और उसकी शीघ्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ऐसी धनराशि को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सकने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है। जो आप कह रहे हैं अगर वह ठीक है लेकिन मैं तो सिम्पिल चीज बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड (२) के उपखंड (ख) के भाग (५) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय :

"स्पष्टीकरण—ऐसी वित्तीय सहायता जो अग्रिम धन तथा अनुदान के रूप में किसी प्रयोजनार्थ दिया गया हो और यदि उसकी पूर्ति न की गई हो, तो इस विधेयक के प्रयोजनों के लिये वह सार्वजनिक ऋण समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, खंड २ के उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित (च) के रूप में जोड़ दिया जाय।

"(च) "लोक ऋण" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय सहायता से है जो किसी ऋण, अग्रिम धनराशि अथवा अनुदान से है जो किसी व्यक्ति, सहकारी समिति अथवा संस्था को दी गई हो, परन्तु उसके उद्देश्यों की पूर्ति न की गई हो अथवा प्रयोजनों की पूर्ति के पश्चात् समय से न चुका दी गई हो।"

अब भी अगर दिमाग न खुले तो मेरे लिये मुश्किल होगा। इसलिये मैं कह रहा हूं कि अभी तक तो माननीय मंत्री जी यह कह रहे थे कि सरकार का रुपया अगर किसी को दिया जाय तो क्या वह वसूल नहीं किया जाना चाहिये। तो मैं कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को देते हैं तो उससे तो वसूली कर लेंगे लेकिन अगर किसी बाडी को देंगे तो आपका कानून कहां जायगा? इस कानून में केवल "व्यक्ति" ही आता है इसमें और नहीं आते हैं जैसे संस्थाएं हैं, इन्सटीट्यूशन है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्हें मैं बुद्धि तो नहीं दे सकता हूं लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि हालांकि बान्ड वगैरह जरूर रखे हैं फिर भी आप संस्थाओं, जिनमें स्कूल आदि आते हैं, से वसूल नहीं कर सकेंगे। जो आपका विधेयक है उसमें सब जगह पर "व्यक्ति" शब्द लिखा है। व्यक्ति का अर्थ है परसन तो अगर आप एक व्यक्ति को देंगे तो उस समय तो वसूल कर सकेंगे लेकिन अगर सहकारी समिति को देंगे तो वसूल नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

का धन जो एडवान्स करते हैं उसमें कोआपरेटिव सोसायटीज से और संस्थाओं से क्या प्रोटैक्शन है। क्या आप चाहते हैं कि वे गबन करें और उनका आप कुछ न कर सकें। आप तो डिस्ट्रेस तक का रुपया वसूल करना चाहते हैं।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून का मैदान बड़ा लम्बा है। खाली सी० पी० सी० म महदूद नहीं है। एक किस्सा मुझे याद आ गया। अगर मेम्बर साहबान और आप, श्रीमन्, इजाजत दें, तो बयान कर दूं। एक कुएं में एक मेंढक था। वहां पर कहीं से एक समुद्र का एक मेंढक आ गया। वहां पर कुएं वाले मेंढक ने समुद्र वाले मेंढक से पूछा कि भाई आपका समुद्र कितना बड़ा है। तो समुद्र वाले मेढक ने उत्तर दिया कि बहुत बड़ा। फिर कुएं वाले मेढक ने कुछ उछल कर कुछ दूर से छलांग लगायी और पूछा क्या इतना बड़ा? तो समुद्र वाले मेंढक ने कहा कि इससे भी बड़ा है। फिर कुएं वाले मेढक ने कुएं में एक ओर से कूद कर दूसरी तरफ गया और फिर पूछा कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने फिर कहा कि इससे भी बड़ा है। तो उसी तरह से कानून का समुद्र इतना लम्बा चौड़ा है, बहुत सी और किताबें हैं, एक किताब नहीं है। एक जनरल क्लाजेज ऐक्ट भी है। उसमें "परसन" की डैफिनीशन है :—

"Person shall include any Company or Association or body of individual whether incorporated or not"

जनरल क्लाजेज ऐक्ट में यह डैफिनिशन है। सी० सी० पी० में भी इस शब्द को डिफाइन किया गया है। इसमें कोआपरेटिव सोसाइटीज भी आ जाती हैं, इन्सटीट्युशन्स भी आ जाते हैं। तो जब शब्द "परसन" इस तरह से डिफाइन है तो मैं समझता हूं कि ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं वे बिल्कुल बेकार हैं।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अकबर के दरबार में एक बीरबल साहब थे। वे उन्हें किस्से सुनाया करते थे। उन्होंने बताया कि एक आदमी एक बार खिचड़ी पका रहा था। खिचड़ी उसने बांस पर टांग रखी थी और आग नीचे जला रहा था। राजा ने पूछा कि यह खिचड़ी कैसे पक सकती है, तो बीरबल ने उत्तर दिया कि श्रीमन्, यह उसी तरह से पक सकती है जिस प्रकार रात में जाड़े में पानी में खड़ा हुआ आदमी दूर की लाइट से सेंक सकता है। इसलिये जनरल क्लाजेज ऐक्ट में जब कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी मदद ली जाती है, हर जगह उसका इस्तेमाल नहीं होता है। अगर इसी ऐक्ट में हम उचित व्यवस्था कर दें तो कोई नहीं कह सकेगा कि यह चीज गलत तरीके से रखी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उप-खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित (च) के रूप में जोड़ दिया जाय :

"(च) "लोक ऋण" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय सहायता से है जो किसी ऋण, अग्रिम धनराशि अथवा अनुदान से है जो किसी व्यक्ति, सहकारी समिति अथवा संस्था को दी गई हो, परन्तु उसके उद्देश्यों की पूर्ति न की गई हो अथवा प्रयोजनों की पूर्ति के पश्चात् समय से न चुका दी गई हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

मालगुजारी की बकाया के रूप में कतिपय देयों की वसूली

३—(१) यदि कोई व्यक्ति—

(क) वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा उसको दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में, या

(ख) किसी औद्योगिक संस्था द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या निगम द्वारा दी गयी प्रत्याभूति से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में, या

(ग) किसी ऐसे अनुबन्ध में, जिसमें इस बात की व्यवस्था की गयी हो कि राज्य सरकार को तदधीन देय कोई धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायगी,

एक पक्ष हो और ऐसा व्यक्ति—

(१) ऋण अथवा अग्रिम धनराशि या उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे, या

(२) अनुदान की शर्तों के अधीन अनुदान अथवा उसके किसी भाग की वापसी के लिये देनदार हो जाने पर, ऐसे अनुदान अथवा उसके भाग या उसकी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे, या

(३) अन्य प्रकार से अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करे,

तो राज्य सरकार की दशा में ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, तथा निगम की दशा में उसका प्रबन्ध प्रबन्ध-निदेशक, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करते हुये, तथा यह अनुरोध करते हुये कि कार्यवाहियों के व्यय समेत वह धनराशि वसूल की जाय, मानो वह मालगुजारी की बकाया हो, एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है ।

(२) कलेक्टर-प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा ।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"३—(१) यदि कोई व्यक्ति या सहकारी समिति अथवा संस्था—

(क) वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में, या

(ख) किसी औद्योगिक समिति अथवा संस्था द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभूति से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

या

(ग) किसी ऐसे अनुबन्ध में जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई हो कि राज्य सरकार को तदधीन देय कोई धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायगी,

एक पक्ष हो और ऐसा व्यक्ति या सहकारी समिति अथवा संस्था—

(१) ऋण अथवा अग्रिम धनराशि या उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे, या

(२) अनुदान की शर्तों के अधीन अनुदान अथवा उसके किसी भाग की वापसी के लिये देनदार हो जाने पर ऐसे अनुदान अथवा उसके भाग या उसकी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे, या

(३) अन्य प्रकार से अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करे, तो राज्य सरकार की दशा में ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय तथा निगम की दशा में उसका प्रबन्ध निदेशक तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर को ऐसे व्यक्ति, सहकारी समिति तथा संस्था द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करते हुये तथा यह अनुरोध करते हुये कि कार्यवाहियों के व्यय समेत वह धनराशि वसूल की जाय, मानो वह मालगुजारी के बकाया हो, एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है ।

(२) कलेक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा ।"

मैं समझता हूं कि हमारा विधेयक परिपूर्ण होना चाहिये । हम ऋण व्यक्ति को ही नहीं देते, सहकारी समिति और संस्थाओं को भी देते हैं, इसलिये ये दो शब्द मैंने इस संशोधन में एड किये हैं ।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति और संस्थाओं, ये दो शब्द बढ़ाने के लिये इस सारे क्लाज को माननीय सदस्य ने सबस्टीट्यूट किया है और उसें उलट पलट दिया है । जब पहला संशोधन गिर चुका है तो यह संशोधन आउट आफ आर्डर हो जाता है । लिहाजा इसे पास नहीं होना चाहिये ।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री की लेजिस्लेचर में उम्र बीत गयी । जब मैं पेश कर चुका अपने संशोधन को तो आउट आफ आर्डर होने का सवाल पैदा नहीं होता । उपाध्यक्ष महोदय ने खुद उसे एलाऊ कर दिया और उस वक्त माननीय सदस्य ने विरोध नहीं किया तो प्वाइंट आफ आर्डर उस वक्त होता है जब कोई बात इंट्रोड्यूस होती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"३—(१) यदि कोई व्यक्ति या सहकारी समिति अथवा संस्था —

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(क) वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में, या

(ख) किसी औद्योगिक समिति अथवा संस्था द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभति से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में,

या

(ग) किसी ऐसे अनुबन्ध में जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई हो कि राज्य सरकार को तदधीन देय कोई धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायगी,

एक पक्ष हो और ऐसा व्यक्ति या सहकारी समिति अथवा संस्था —

(१) ऋण अथवा अग्रिम धनराशि या उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे, या

(२) अनुदान की शर्तों के अधीन अनुदान अथवा उसके किसी भाग की वापसी के लिये देनदार हो जाने पर ऐसे अनुदान अथवा उसके भाग या उसकी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे, या

(३) अन्य प्रकार से अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करे, तो राज्य सरकार की दशा में ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय तथा निगम की दशा में उसका प्रबन्ध निदेशक तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर को ऐसे व्यक्ति, सहकारी समिति तथा संस्था द्वारा देय धन-राशि का उल्लेख करते हुये तथा यह अनुरोध करते हुये कि कार्यवाहियों के व्यय समेत वह धनराशि वसूल की जाय, मानो वह मालगुजारी के बकाया हो, एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है ।

(२) कलेक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५

राज्य अथवा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को दिये जाने वाले कतिपय वर्गों के देयों की शीघ्र वसूली की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में "लोक धन" के स्थान पर "लोक ऋण" रख दिया जाय ।

श्रीमन्, इसके बारे में मैं काफी कह चुका हूं कि हम इसका नाम लोक ऋण क्यों रखना चाहते हैं । हमने यह कारण बताया कि लोन और ग्रांट अलग अलग चीज है । इसलिये इसका नाम लोक धन गलत है । इसकी वजह से हमको दिक्कतें होती हैं क्योंकि दूसरे जो विधेयक आये हैं उसमें भी यह दिया हुआ है। अब जैसा कि श्रीमन्, १९६० में एक रिकवरी आफ यू० पी० ड्यूज लोन रिकवरी का बिल पेश किया गया था, जो डयूज लोगों के पास हैं या लोन्स हैं तो उसमें जो नाम दिया हुआ है, वह ठीक है । इसमें लोन की रिकवरी आप कर रहे हैं । ग्रांट भी जिस प्रयोजन के लिये दी जाती है अगर उसमें प्रयोग न की जाय तो वह लोन का रूप ले लेगी । मैं चाहता था कि यही सदन की परिपाटी रही है और सदन ने ऐसे कानून पास किये हैं और ऐसे नाम दिये हैं । इसलिये इस बिल का नाम "लोकधन" के बजाय "लोक ऋण" रखा जाय क्योंकि लोक ऋण वसूल कर रहे हैं । यह नाम ज्यादा मौजू और सुन्दर होगा ।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या बताऊं मुझे अफसोस है क्योंकि मैं चाहता था कि किसी न किसी मौके पर मैं अपने दोस्त को औबलाइज कर दूं । लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ी है । जो नान-एग्रीकल्चरिस्ट्स को ग्रांट देते हैं, तकावी तो कवर हो जाती है लेकिन अगर लोन कर दें तो वे लोग फ्री हो जायेंगे । इसलिये बड़े-बड़े लोगों को हमारे दोस्त बचाना चाहते हैं । दूसरी बात यह है कि ऋण रखने से इस बिल का स्कोप लिमिटेड हो जायगा । लोन की तारीफ में जो आयेंगे उनको ही हम कर सकते हैं औरों को नहीं कर सकते हैं । हमारा मकसद ही खत्म हो जायगा । देखने में तो श्रीमन्, यह छोटा अमेन्डमेंट है लेकिन बड़ा खोटा है ।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, हमारा अमेंडमेंट छोटा है और मंत्री जी ने उसे खोटा भी कह दिया है । मैंने इसीलिये लोन की डैफीनीशन दी थी जिससे समझ में आ जाय । हमारा तो काम आपके ध्यान दिलाने का है । आप मानें या न मानें, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में "लोक धन" के स्थान पर "लोक ऋण" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ को पारित किया जाय ।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, इतना तो अवश्य है कि मंत्री जी रुष्ट नहीं हुये । कभी-कभी टैम्पर लूज कर देते हैं । हमारा तो काम है कि अगर कोई दिक्कत हो तो आपको दिखा दें । जो बात मैंने कही थी वह इसलिये कि अंग्रेजी का जो ट्रांस्लेशन है, इस सरकार के अमेंडमेंट में वह चीज आई है, इसलिये मैंने कहा था कि वह अपनी चीज देख लें और करेक्ट कर लें तो अच्छा है । हमें इन्फोर्समेंट की उस वक्त जरूरत नहीं पड़ी, माननीय मंत्री जी अपनी चीज को ही दो तरह से दिखा सकते हैं, हिन्द में कुछ और अंग्रेजी में कुछ । तो श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा कि इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है । वही दिखाना चाहते हैं तो दिखायें, हमें कोई एतराज नहीं है । इसमें मैं वही चीज देखता हूं कि जो हम लोगों को लोग कहा करते हैं, हमें अंगूठा टेक कहते हैं । तो इसलिये यह कहते हैं । इनका तो ला डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेचर कमेटी में एक बार, ला के एक एक्सपर्ट बुलाये गये, उनसे मैंने एक नियम के बारे में पूंछा तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि यह नियम हमने बनाया था, क्योंकि वह ठीक था । उसके बाद मैंने दूसरे नियम के बारे में जिसका ड्राफ्ट खराब था, पूछा तो वह टाल गये । तो यहां तो "कड़वा-कड़ुवा थू और मीठा-मीठा गप" वाली कहावत चरितार्थ हुआ करती है ।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मैं आपके द्वारा फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा—यदि कन्सालिडेटेड फण्ड से उसका रुपया खर्च होगा और २०७ (३) के अन्तर्गत हम इसे पास नहीं कर सकते । श्रीमन, आपका एक तर्क हो सकता है कि उसके अन्दर सरकार रुपया डाइवर्ट करेगी । पास होने के बाद हम अधिकार दे देते हैं खर्च करने का । सरकार कहती है कंसालिडिटेड फण्ड उस वक्त नहीं रह जाता है । मैं बजट मैनुअल से आपको दिखाना चाहता हूं, यदि आप देखें, सिर्फ २ चीजें मैं पढ़ना चाहता हूं, पहले पेज ७४ पर यदि आप देखें तो पायेंगे यू० पी० रिलीफ रिजर्व फण्ड में यह सब आ जाता है, उसमें दिया है —

"There are a number of Reserve Funds, fed by contributions from the Consolidated Fund of the State, which have been created for certain purposes. The notable ones at present are the U. P. Famine Relief Fund."

तो यू० पी० रिलीफ फण्ड जो १९३६ में पास किया गया है, जिसका हम हवाला दे चुके हैं, उसमें लिखा है आगे देखें —

"The U. P. Famine Relief Fund, which was established under the U. P. Famine Relief Fund Act, 1936, to replace the Famine Relief Fund, is meant for expenditure on (1) the relief of serious famine and (2) the relief of distress of a serious nature arising from draughts, floods and other natural calamities. The balance at credit of the Famine Relief Fund was transferred to the newly constituted Fund and invested in securities of the Central Government. The Fund is fed from assignments made to it from State revenues from time to time."

तो एक तो इसमें यह दिया हुआ है और दूसरे में यह दिया हुआ है, शुरू में, अन्डर आर्टिकिल ६६ कन्सालिडेटेड फण्ड दिया है—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[कमलासिंह यादव]

"All revenues received by a State Government, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans, or ways and means advances and all moneys received by that Government in repayment of loans from one consolidated fund called 'the Consolidated Fund of the State', No moneys out of this Fund can be appropriated accept in accordance with law and for the purposes and in the manner provided in the Constitution."

तो इस तरह से जब हम इस फण्ड से रुपया लेकर खर्च कर देते हैं तो वह रुपया रिसीव किया जायगा तो कन्सालिडेटेड फण्ड में जमा होगा । जो कोई भी चीज जो खर्च करते हैं, वसूली के बाद फिर कन्सालिडेटेड फण्ड में आ जायगा तो कन्सालिडेटेड फण्ड का एकाउण्ट हो जायगा । और जब कंसालिडेटेड फंड का ऐक्शन हो जायगा तो उस वक्त १९१ (१) एप्लाई करेगा । मैं हर चीज को दोहराना नहीं चाहता । यह निश्चित बात है कि इनके सचिव निकट भविष्य में एक अमेंडमेंट इसमें जरूर ले आयेंगे और उसको यह इग्नोर नहीं कर सकते । और अगर कोर्ट में गया तो वहां से स्ट्रिक्चर आयेगा और अगर हम लोगों के टाइम में आ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे कुछ नहीं कहना है । बहुत बातें हो गयी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विवाद का परिवर्तित समय

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि ५ तारीख को मेरे विभाग का एक विधेयक, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ आने वाला है और उसके लिये २ घंटे का समय विजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने तय किया है । राजस्व मंत्री जी का विधेयक उसके बाद ५ से ७ को है । इसलिये अच्छा हो कि अगर ७ तारीख को मेरे विभाग का विधेयक आखिर में २ घंटे रख लिया जाय । आपकी बड़ी कृपा होगी । माननीय राजस्व मंत्री जी को कोई एतराज नहीं है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों को भी कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मुझे एतराज है । अभी हमने अमेंडमेंट भी नहीं दिया है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

लेकिन वह तो उसे आगे ले जा रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर आगे ले जा रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार ५ तारीख को न हो कर ७ तारीख को आखिर में २ घंटे हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५*

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

श्रीमन्, मैं प्रस्त व करता हूं कि रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्त प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी को बोल लेने दीजिये

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी बाद को बोल लेंगे । इस विधेयक का जो हेडिंग है उसके नीचे हिन्दी में छपा है कि "जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।" मैं समझता हूं कि ऐसे बिल हम लोगों को फेंक देने चाहिये क्योंकि जो ज्ञापन पत्र रखा गया है इसके तीसरे पेज पर दिया है :—

"रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट, १८९० (१८९० ई० का ऐक्ट संख्या १) के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार (कलेक्टर से भिन्न) किसी सार्वजनिक अधिकारी अथवा किसी स्थानिक प्राधिकारी को वैभागिक देयों को मालगुजारी की बकाया के रूपमें वसूल कराने के लिए इस जिले के कलेक्टर से ही अनुरोध करना पड़ता है आदि-आदि ।

यह माननीय राजस्व मंत्री के दस्तखत से है । ज्ञापन पत्र तो जब आयेगा तब यह समझा जायगा कि वह मनी बिल है । अब मनी बिल के बारे में १२१ (१) और १२१ (२) अपने नियमों का है, जिसे पढ़ कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता लेकिन इसके बारे में कांस्टीट्यूशन की धारा १९८ को जरूर पढ़ना चाहता हूं ।

संविधान की धारा १९८ (१) इस प्रकार से है "ए मनि बिल शैल नाट बी इन्ट्रोड्यूस्ड इन ए लेजिस्लेटिव कौंसिल" (A money bill shall not be introduced in a Legislative Council) । यह बिल जो हमारे सामने है यह लेजिस्लेटिव कौंसिल से पास होकर आया है । यह ऐसा बिल है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल में इंट्रोड्यूस हो चुका है, और वहां से पास हो चुका है । वह मनी बिल होने के नाते इस सदन के अन्दर ही पहले आ सकता है । इसलिये मैं इसका विरोध करता और घोर विरोध करता हूं । यह बिल पहले यहां से पास होना चाहिये । पहले इसको कौंसिल पास नहीं कर सकती है इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और अब यह बिल सदन के सामने नहीं आ सकता ।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि यह विधेयक जो आप लाये है किसलिये लाये हैं । आप एक अमेंडमेंट करने के लिये इस विधेयक को लाये हैं । तो जो मूल गवर्नमेंट आफ इंडिया का रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट १८९० का है उसके क्लाज (३) में आप यह संशोधन करके उसके आधार पर अपने यहां इस विधेयक को पास करना चाहते हैं इसका उद्देश्य यह है कि पहले ऐसा होता था कि अगर किसी आदमी से कोई ड्यूज रिकवर करना है और वह उस जिले में नहीं रहता है और दूसरे जिले में रहता या इस प्राविन्स में नहीं रहता है, किसी दूसरे प्राविन्स में चला गया है तो वसूल करने में दिक्कत होती थी । तो हैड आफ डिपार्टमेंट कलेक्टर के पास उस कागज को भेजता था और उसके आने जाने में बहुत विलम्ब होता था । यही कारण है कि जिसकी वजह से आप यह विधेयक लाये हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसके द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है । मैं उस १८९० के ऐक्ट के सेक्शन ३ के (१) को पढ़ देना चाहता हूं . . .

---

*२४ मार्च, १९६५ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और 'गणपूर्ति' होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कमलासिंह यादव—

तो मैं आपका ध्यान इस १८९० के ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा (१) की तरफ दिलाना चाहता हूं । उसमें यह दिया है कि :—

"Where an arrear of land-revenue, or a sum recoverable as an arrear of land revenue, is payable to a Collector by a defaulter being or having property in a district other than that in which the arrear accrued or the sum is payable, the Collector may send to the Collector of that other district a cercular in the form as nearly as may be of the schedule, stating—

(*a*) The name of the defaulter and such other particulars as may be necessary for his identification, and

(*b*) the amount payable by him and the account in which it is due"

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक कलेक्टर दूसरे कलेक्टर को लिखेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको अपोज कर रहे हैं ? आपने आब्जेक्शन किया था कि यह मनी बिल है इसलिये यहां नहीं आना चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

एक आब्जेक्शन तो मैंने कह दिया । आप इस पर निर्णय दे दीजिये, उसके बाद आगे कहूंगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है । मुझे तो कमला सिंह जी के बारे में कहना है कि उनको हर चीज में मनी बिल दिखलाई देता है । यह उनको मोनिया हो गया है । मैंने अपने लीगल डिपार्टमेंट से ऐडवाइस ली और उनकी राय है कि यह मनी बिल नहीं है । यह अपर हाउस में पास भी हो गया और किसी ने एतराज नहीं किया । जरा अपर हाउस का तो लिहाज कीजिये । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मनी बिल नहीं है और मैं मुतमईन हूं । इसलिये इस विधेयक को पेश किया गया है ताकि यह पास हो ।

श्री कमलासिंह यादव—

ज्ञापन क्यों दिया अगर यह मनी बिल नहीं है तो ? वह तो इसीलिये होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बिल खर्च से संबंधित नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

यह बिल से संबंधित है । ज्ञापन पत्र विधेयक से रिलेट कर दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक इसमें खर्चे का सवाल न हो कोई मनी बिल नहीं हो सकता ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस विधेयक में केवल इतनी बात है कि अगर यहां की लोकल बाडी या पब्लिक अथारिटी का कोई डेट बाकी है और डिफाल्टर बाराबंकी में रहता है तो मौजूदा कायदा यह है कि पहले यहां के कलेक्टर को लिखा जाय, फिर वह कलेक्टर उनको लिखे और तब जा कर कार्यवाही हो । हम कहते हैं कि सीधे ही उस कलेक्टर को उस अथारिटी को लिख देने का अधिकार दे दिया जाय । केवल यह बिल इतना ही है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

सीधे प्राधिकारी उस कलेक्टर को लिख दे, यह है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, ताकि डिले न हो बीच में ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस बिल में मनी बिल का क्या सवाल है ? ज्ञापन होने से वह मनी बिल नहीं हो जाता । जब तक बिल में खर्च का कोई प्राविजन न हो तब तक वह मनी बिल नहीं होता । इसलिये यह इन आर्डर है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अब मैं दूसरा प्वाइंट उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं यह कह रहा था कि यह बिलकुल सिम्पुल बिल है । ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को हम सरल करना चाहते हैं ताकि ज्यादा तवालत न हो और पब्लिक धन वसूल करने में ज्यादा दिक्कत न हो । इसीलिये यह विधेयक लाया गया है । इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है इसलिये कि दो घंटे का वक्त इस के लिये सदन ने मुकर्रर किया है और इसी में यह पास हो जाना चाहिये । मेरे मित्र ने कहा था कि इस पर हम बिलकुल नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी बात का क्या ? उनकी कथनी और कुछ होने पर भी वह लम्बी चौड़ी तकरीर करके उसे अपनी करनी में नहीं रखना चाहते । इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसको इसकी परिधि भी बढ़ाने का अधिकार होगा तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास के अन्दर प्रस्तुत करे ।

वैसे तो जैसा मंत्री जी ने बतलाया, यह बिल वैसा ही है, किन्तु इसमें दो तीन कानूनी बातें हैं जिनकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह सेंट्रल ऐक्ट है और इसमें प्रदेशीय सरकार काम चलाने के लिये संशोधन ले आयी है । मेरा अनुमान है कि जो संशोधन श्रीमन्, किया गया है इसमें बड़ी दिक्कतें पड़ेंगी । आप देखें कि धारा ५ में जो संशोधन किया गया है कि कोई भी प्राधिकारी सीधे जिले के कलेक्टर को वसूली के लिये कागजात भेज सकता है, इसमें होगा यह कि कलेक्टर जब देखेगा कि किसी छोटे अधिकारी के पास से वह आया है तो वह उस पर ध्यान नहीं देगा । पहले कलेक्टर ही कलेक्टर को भेजता था, चूंकि वे बराबर के रैंक के होते थे इसलिये वे उस पर ध्यान देते थे । सीधे एक अधिकारी जब कलेक्टर को पत्र भेजेगा तो वह उसको मानें या न माने यह उसकी इच्छा पर रहेगा । उपेक्षा तो हो ही सकती है ।

[श्री रक्षपालसिंह]

दूसरा संशोधन ५-ए द्वारा किया गया है । इसमें भी मुझे आशंका है कि यह वैधानिक है या नहीं । इसमें यह है कि जिस पर रुपया बकाया होगा वह अगर प्रदेश के बाहर रहता होगा तो कलेक्टर उस प्रदेश में वहां के जिले के कलेक्टर को पत्र भेजेगा । सेंट्रल ऐक्ट में कलेक्टर की पहले जो परिभाषा दी गयी थी उसे अब बदल दिया गया है । इसमें मुझे आशंका यह है कि हमारे यहां से जब दूसरे प्रदेश में कलेक्टर को वह पत्र जायेगा तो वह उस पर ध्यान देगा या नहीं ? हर स्टेट आटोनामस स्टेट है । इसलिये उनके ऊपर कोई पाबन्दी तो होगी कि वे उस पर कार्यवाही करें । इसके लिये मेरा सुझाव यह था कि जब प्रदेश के बाहर कोई पत्र जाये तो वह हमारे चीफ सेक्रेटरी द्वारा भेजा जाना चाहिये । इस तरह की कुछ खामियां इस विधेयक में हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि इन खामियों पर वहां विचार किया जा सके ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, स्टेट्स आटोनामस बाडी हैं । जब एक जिले का कलेक्टर दूसरी स्टेट को भेजेगा तो हमारे आदेश का पालन करने के लिये वह कहां तक बाध्य होगा, कैसे यह कार्यन्वित होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सेंट्रल ऐक्ट में ऐसा प्राविजन है, उसमें दिक्कत नहीं है ।

*श्री कमलासिंह यादव--

मान्यवर, मैंने इस बिल को शुरू से आखिर तक पढ़ा और बड़ा ताज्जुब हुआ । मंत्री जी कहते हैं कि ला विभाग से पूछ लिया है, वह विभाग तो यहां है नहीं । कितना बढ़िया यह बिल का ड्राफ्ट किया गया है, वह श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं । ड्राफ्टर के लिये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वह तो आनरेबिल आफिसर होगा । यहां पर सेक्शन ३ का अमेंडमेंट आप करने जा रहे हैं और विधेयक के उद्देश्य और कारण में आपने यह दिया है कि हम किसी ड्यूज की रिकवरी कराने के लिये कोई परिपत्र भेजते हैं तो उस परिपत्र पर कलेक्टर का दस्तखत होना चाहिये और उसके दस्तखत से वह परिपत्र दूसरे कलेक्टर के पास जायगा या दूसरे प्रांत में जायगा । और जब तक कलेक्टर के दस्तखत परिपत्र पर न हों तब तक उसका कोई इनफोर्समेंट नहीं हो सकेगा और इसको दूसरे अधिकारी नहीं मानेंगे । जैसा कि यह कहा गया कि कलेक्टर के दस्तखत से एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जायगा तो, इसको सेंट्रल ऐक्ट में जब अपना लिया गया है तो उसकी पोजीशन दूसरी है । हमारे परपज के लिये वह मान्य होता है । 'कलक्टर' शब्द विधेयक के अन्दर दिया हुआ है । यह दिया हुआ है कि एक कलेक्टर दूसरे कलेक्टर को या दूसरे प्रांत को लिखेगा, तो यह तो एतराज किया जाता है कि दूसरे प्रांत में आटोनामस होने की वजह से उसको नहीं माना जायगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं । लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान में सेक्शन ३(१) की ओर दिलाना चाहता हूं । इसमें यह दिया हुआ है--

"Where an arrear of land revenue or a sum recoverable as an arrear of land revenue is payable to a collector by a defaulter being or having property in a district other than that in which the arrear accrued or the sum is payable, the collector may send to the collector of that other district a certificate in the form as nearly as may be of the schedule stating :

(*a*) The name of the defaulter and such other particulars as may be necessary for his identification and

(*b*) The amount payable by him and the account in which it is due."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(2) The certificate shall be signed by the Collector making it (or by any officer to whom such Collector may, by order in writing, delegate this duty), and, save as otherwise provided by this Act, shall be conclusive proof of the matters therein stated.

(3) The Collector of the other district shall, on receiving the certificate, proceed to recover the amount stated therein as if it were an arrear of land revenue which had accrued in his own district."

तो एक खास बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेक्शन २ में तो आप अमेंडमेंट कर रहे है । उसमें "कलेक्टर" की जगह "असिस्टेंट कलेक्टर" कर रहे हैं ।

सेक्शन ३ में दिया हुआ है कि कलेक्टर जिस डिफाल्टर पर पे करना ड्यू रहेगा, वह उस क्षेत्र के दूसरे कलेक्टर को लिखेगा । तो इस सेक्शन ३ में आप "कलेक्टर" शब्द में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं ।

दूसरी चीज यह कि सवाल यह होता है कि सर्टिफिकेट इश्यू करने के संबंध में आप "कलेक्टर" की डैफिनिशन को चेंज कर रहे हैं और वह चेंज कर रहे हैं कि कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर इनक्लूड किया जायगा और जिसको वह अथाराइज करेगा । तो आपका परपज दूसरा है । आप कहते हैं कि उनकी अथारिटी होगी कि सेल्स टैक्स या और भी जो ड्यूज होंगे उनकी वसूली हो सकेगी । मैं कहता हूं कि कलेक्टर के दस्तखत से परिपत्र दूसरे कलेक्टर के पास भेज दिया जायगा कि बाकी रुपया रियलाइज हो जाय लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप "कलेक्टर" की डेफिनिशन में "असिस्टेंट कलेक्टर" कर रहे हैं, लेकिन जब तक अधिकारी का नाम नहीं आयेगा या उस अथारिटी का नाम नहीं आयेगा तब तक कैसे आप इस मामले को हल कर सकेंगे । क्योंकि जो बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें यह दिया है, श्रीमन् कि "कलेक्टर का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत इस नियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये ऐसे अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई सहायक कलैक्टर भी है।"

इसके अधीन आपने असिस्टेंट कलैक्टर को भी पावर दिया है । वह असिस्टेंट कलैक्टर अधिकारी होगा जिसे कलैक्टर अधिकृत करेगा । मेरा कहना यह है कि जो धारा ४ है विधेयक की और ५ है, उसमें शुरू में यह है कि "कलैक्टर द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों के प्रमाण पत्रों पर मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य धनराशियों की वसूली" । पांचवे में यह दिया है कि "सार्वजनिक अधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उन बाकीदारों से जो उत्तर प्रदेश के बाहर हों अथवा जिनकी सम्पत्ति उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य धनराशियों के संबंध में प्रमाणपत्र" । तो श्रीमन्, अगर आप भार हल्का करना चाहते हैं तो आप "कलेक्टर" की डेफीनीशन में सार्वजनिक अधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी ला दें तो आपकी दिक्कत दूर हो जावेगी । क्योंकि सैक्शन (३) का क्लाज (१) कलेक्टर अपनी जगह पर है । क्योंकि जो फर्क डाल रहे हैं कलैक्टर की जगह असिस्टेंट कलैक्टर, उसको भी हम पावर नहीं दे रहे हैं, जो कलैक्टर का है । तो श्रीमन्, इस डैफीनीशन से आपका परपज हल नहीं होता । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस गलती के लिये धारा ३(१) में कोई संशोधन न हो । कलैक्टर अपने असिस्टेंट कलैक्टर को लिखेगा । वह अपनी जगह पर है । पहिले कलैक्टर लिखता था । अब कलैक्टर की गैरहाजिरी में असिस्टेंट कलेक्टर भी साइन करेगा । लेकिन उद्देश्य और कारणों में जो बताया है कि हम चाहते हैं कि वे अधिकारी जो वसूल करने वाले हों, उनको मौका देना चाहते हैं कि वे प्रमाणपत्र पर दस्तखत करके भेज दें वह माना जावेगा कि वह कलैक्टर का ही प्रमाणपत्र है । तो श्रीमन्, या तो आप धारा ३(१) में परिवर्तन करें या कलैक्टर की जो डैफीनिशन है उसमें सार्वजनिक अधिकारी या स्थानीय अधिकारी को जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आपका परपज हल नहीं

[श्री कमलासिंह यादव]

होगा। मैं इस बिल क उद्देश्य और कारणों को अवश्य एप्रीसियेट करूंगा। लेकिन लोकधन की वसूली में जो दिक्कतें हैं वह इस बिल में बिला अमेंडमेंट लाये दूर नहीं हो सकतीं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे भी औरों से कन्सल्ट कर लें इस विषय पर और इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दें। और इसका जो सही रूप हो उसको वह लाने की कृपा करेंगे।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह रेवेन्यू रिकवरी का जो कानून है इसके क्लाज ५ से हमको बड़ी शंका है क्योंकि मैं ऐसी जगह का रहने वाला हूं जहां के लोगों की सम्पत्ति बिहार में है और बिहार के अधिकारी जिस तरह से धांधली करते हैं हमारे किसानों से वसूली करने में, उसका मैं भुक्तभोगी हूं। पहले जो स्थिति थी उसमें किसी भी रकम को वसूल करने की बात जहां होती थी, वहां उसका राइट सिविल कोर्ट्स को दिया गया था, सिविल कोर्ट्स के जरिये से स्क्रूटिनी होकर के तब उत्तर प्रदेश के किसान की किसी तरह की वसूली हो सकती थी। मगर अब इस कानून के जरिये माननीय मंत्री जी यह अधिकार लेने जा रहे हैं कि बलिया जिले का कलेक्टर सीधे शाहाबाद के कलेक्टर को लिख देगा, प्रमाणपत्र दे देगा कि इतना रुपया वसूल कर लो। तो पहली बात तो यह कि इसमें अन्तर्प्रान्तीय अधिकार आप लेने जा रहे हैं और फिर यह अधिकार कलेक्टर को रहेगा। मान लीजिये कि ५०० रुपये की वसूली किसी किसान से होनी है। अगर अधिकारी गुस्से में है या बेईमानी करना चाहता है या जैसा कि स्वराज्य का मकसद आज हो गया है कि 'राज चलाओ और माल उड़ाओ', तो यह सरकार चलाने और माल उड़ाने वाली ताकतें जो हैं वह उससे और मजबूत होंगी। उन्होंने लिख दिया कि ५०० की जगह ७०० की वसूली कर लो। कोई उसकी स्क्रूटिनी का विधान नहीं है। इसलिये हम इसका विरोध करते हैं। स्क्रूटिनी का प्राविजन जिस रकम की वसूली होने वाली है, उसके लिये होना चाहिये लेकिन वह प्राविजन इसमें नहीं है।

दूसरी बात दो प्रांतों के मामले में जो अधिकार पहले सिविल कोर्ट्स को था, न्यायपालिका को था वह अधिकार आप एग्जीक्यूटिव को देने जा रहे हैं, जो ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको देने जा रहे हैं और उनका खास काम आज वही हो गया है कि सरकार चलती रहे और वह माल उड़ाते रहें। इसलिये इस धारा ५ को पास करने से बड़ा भारी किसानों का नुकसान होगा। बहुत से ऐसे किसान हमारे हैं। जिनकी सम्पत्ति बिहार में है और उनसे वसूली बिहार के सिविल कोर्ट में जाने के बाद ही हो सकती है, शाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सीधे वसूली नहीं कर सकता। लेकिन आज आप जो अधिकार देने जा रहे हैं उससे शाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जोर जुल्म हमारे किसानों के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जायगा। इसलिये मैं इस क्लाज ५ का खास तरीके से विरोध करना चाहता हूं। यह क्लाज ५ इसमें से निकाल दिया जाय।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात मुझे जो आपके लीगल ऐडवाइजर हैं उनसे कहनी है कि इस विधेयक का जो उद्देश्य और कारण उन्होंने लिखा है उसमें धारा ५ की चर्चा नहीं की है जिसमें कि ऐसा महत्वपूर्ण अन्तर्प्रान्तीय अधिकार आप लेने जा रहे हैं। इसलिये भी यह आपका बिल डिफेक्टिव है। उद्देश्य और कारण में इसका जिक्र करना चाहिये था। आज जो सिविल कोर्ट्स के कानून हैं और संविधान की जो मान्यता है उसके आधार पर आपके इस बिल को चैलेंज कर दिया जाय हाईकोर्ट में तो यह बिस रद्द हो जायगा। लीगल रिमेंब्रेंसर जो आपके हैं उनकी काम्पीटेंसी का नमूना यह देख लीजिये। इस बिल की ड्राफ्टिंग के लिये आप उनको सैक कीजिये। किस उद्देश्य से आप यह धारा लाये हैं उसकी चर्चा उद्देश्य और कारण में क्यों नहीं की गई? इसलिये यह बिल डिफेक्टिव है, इसकी ड्राफ्टिंग में डिफेक्ट है और यह किसानों के लिये अहितकर है। मैं इसका विरोध करता हूं। जो वसूल होने वाली रकम है उसकी स्क्रूटिनी का प्राविजन आप इसमें कीजिये और दूसरा जो आप अन्तर्प्रान्तीय अधिकार डिस्ट्रिक्ट

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

मैजिस्ट्रेट को देने जा रहे हैं इससे बड़ी धांधली हो जायगी । यह सिविल कोर्ट के जरिये होना चाहिये, जैसी कि आज तक व्यवस्था प्रचलित है । इन शब्दों के साथ में धारा ५ का विरोध करता हूं ।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय कमला सिंह यादव ने जो आपत्ति उठाई है, तो मैंने उनका ध्यान खंड ४ के उपखंड ४ की तरफ दिलाया, उससे उनका एतराज पूरा हो जाता है । मैं आपकी आज्ञा से धारा ४ पढ़ देना चाहता हूं—

"धारा ४ के उपबन्ध ऐसे प्रमाण-पत्र के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वह धारा ३ की उपधारा १ के अधीन भेजा गया प्रमाण-पत्र हो।"

तो धारा ३ की उपधारा १ जो प्रिंसिपल ऐक्ट की है, उसमें "कलेक्टर" का लफ्ज लिखा है, इसलिये इस प्राविजन के अधीन लोकल अथारिटीज जो भेजेंगी, वह भी कलेक्टर का ही समझा जायगा, लिहाजा इससे कोई गड़बड़ी नहीं मालूम होती । माननीय काशीनाथ जी की बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ । हम सब जानते हैं कि सिविल लिटीगेशन में काफी खर्चा होता है, उसको दूर करने के लिये यह तरीका हमने रखा है और कलेक्टर जांच पड़ताल करके जो वाकयात होंगे, उसी का सर्टिफिकेट देगा । हम बिहार के कलेक्टर को अधिकार नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने यहां के कलेक्टर को दे रहे हैं ।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन् मैं ज्यादा समय नहीं लेता, मैं आभारी हूं, माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के ऊपर विचार प्रकट किये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसको इसकी परिधि भी बढ़ाने का अधिकार होगा तथा वह अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २—६

धारा २ का संशोधन

२—रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट, १८९० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(२) कलेक्टर का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई सहायक कलेक्टर भी है ; और"

---

*बबता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(२) प्रमाण-पत्र तैयार करते समय कलेक्टर उस पर हस्ताक्षर करेगा, और, इस अधिनियम द्वारा अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, वह प्रमाण-पत्र उसमें वर्णित विषयों के लिये निश्चायक प्रमाण होगा।"

धारा ५ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

कलेक्टरों द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य धनराशियों की वसूली

"५—(१) यदि कलेक्टर से भिन्न किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मालगुजारी की बकाया के रूप में कोई धनराशि वसूल होने योग्य हो तो, ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी उस जिले के जिसमें उक्त अधिकारी या प्राधिकारी का कार्यालय स्थित हो, अथवा उत्तर प्रदेश के किसी जिले के कलेक्टर को, जहां बाकीदार हो अथवा उसकी संपत्ति, हो, ऐसे प्रपत्र में जो तदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा नियत किया जाय, एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है।

(२) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, प्रमाण-पत्र उसमें वर्णित विषयों के लिये निश्चायक प्रमाण होगा।

(३) कलेक्टर, उपधारा (१) के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर, उसमें उल्लिखित धनराशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानो वह धन उसको देय हो।

(४) धारा ४ के उपबन्ध ऐसे प्रमाण-पत्र के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों वह धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन भेजा गया प्रमाण-पत्र हो।

५—ऊपर यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

सार्वजनिक अधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उन बाकीदारों से जो उत्तर प्रदेश के बाहर हों अथवा जिनकी संपत्ति उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य धनराशियों के संबंध में प्रमाण-पत्र

"५-क—यदि कलेक्टर से भिन्न किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य कोई धनराशि हो, और बाकीदार उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जिले में हो अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जिले में उसकी संपत्ति हो तो, उस जिले का कलेक्टर जिसमें उक्त अधिकारी या प्राधिकारी का कार्यालय स्थित हो, अधिकारी या प्राधिकारी के अनुरोध पर वसूल की जाने वाली धनराशि का एक प्रमाण-पत्र उस जिले के कलेक्टर को इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन भेज सकता है जिसमें बाकीदार हो अथवा उसकी संपत्ति हो; मानो वह धनराशि उसे ही देय रही हो।"

६—मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्— धारा ११ का बढ़ाया जाना।

"११—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, वे बजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मान्यवर, हमारे पास संशोधन देर से आये हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

आज यह टेबिल पर रखा गया है, पहले पहल।

श्री उपाध्यक्ष—

अब बहस कीजिए।

श्री कमलासिंह यादव—

अब कोई जरूरत नहीं है, मैं पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, ४, ५ और ६ इस विधयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५

(जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

ऐक्ट, सख्या १, १८९० — उत्तर प्रदेश में उस की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट, १८९० का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार — १—(१) यह अधिनियम रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार. समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव रखता हूं कि रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि रेवन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश वधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय मंत्री जी को चाहिए, कि माननीय रामसुन्दर पाण्डेय को धन्यवाद दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार, ५ अप्रैल को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ३५ मिनट पर सोमवार, ५ अप्रैल, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२ अप्रल, १९६५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१९ पर)

नाम		अस्थायी सेवा काल की अवधि ३०-९-६४ को			आयु		
		वर्ष	मास	दिन	वर्ष	मास	दिन
१—श्री रघुराज सिंह	..	३	१०	८	२८	२	१७
२—श्री राजाराम	..	४	३	१	२६	८	२४
३—श्री दयाशंकर	..	३	२	१२	२८	२	१५
४—श्री सुन्दर सिंह	..	६	०	१३	२७	८	२३
५—श्री शिव प्रसाद	..	१	१०	१६	२७	१	२२
६—श्री रामशंकर	..	..	..	..	२७	१०	२०
७—श्री रामदास	..	४	२	२०	२७	२	६
८—श्री अब्दुलहमीद	..	१	३	२०	२५	७	२९
९—श्री कालीचरण सिंह	..	१	०	५	२५	२	१
१०—श्री देवीचरण	..	..	..	..	२८	०	१४
११—श्री शरीफुल हसन	..	०	९	२१	२६	०	०
१२—श्री मथुरा प्रसाद	..	१	४	२	२६	२	०
१३—श्री सुखदीन प्रसाद	..	०	६	२४	२७	७	२९
१४—श्री सुरेन्द्र नारायण	..	..	..	..	२७	८	१०
१५—श्री मेवालाल	..	०	०	२२	२७	८	१८
१६—श्री चन्द्रपाल	..	१	०	४	२७	२	२
१७—श्री गंगाराम	..	०	०	०	२५	५	८
१८—श्री शिवशंकर	..	०	८	६	२६	२	१५
१९—श्री विशुनदयाल	..	०	८	३	२६	८	२५

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५२६ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के ५वें बुधवार के लिय निर्धारित श्री गणेशचन्द्र काछी द्वारा पूछे गये तरांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
६—क्या यह सत्य है कि प्राइवेट ट्यूबवल की नालियों के बनाने के लिये जनता को सरकार की तरफ से जो अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है वह मनपुरी जिले में कई साल स नहीं भेजी गयी हैं ? यदि हां, तो वह कब तक भेज दी जायगी ?	वर्ष १९६३-६४ में ४१,७०० रु० तथा वर्ष १९६४-६५ में १०,४०० रु० ट्यूबवल की नालियां बनाने हेतु अनुदान देने के लिये उपलब्ध किया गया है ।

———

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २९ एल० ए०—१९६५—८६२ ।